

<p>National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 Scrip code – CENTRALBK</p>	<p>BSE Limited Corporate Relationship Dept., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 Scrip Code – 532885</p>
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice of 19th (Nineteenth) Annual General Meeting of the Bank.

With reference to captioned subject, we would like to inform that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Bank is scheduled on Friday, 31st July, 2026 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business. The Central Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai-400021 shall be deemed venue of the meeting.

Sr. No.	Details of Agenda Items
Ordinary Business:	
1	To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2026, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
2	To confirm the payment of 04 (four) Interim Dividends aggregating to ₹1.20 (12%) per equity share having face value of ₹10 each of Bank for the financial year 2025-26 as declared and approved by Board of Directors of Bank.
Special Business:	
3	To approve the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.
4	To approve the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank.
5	To approve the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank.
6	To approve the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of the Bank.
7	To approve the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.
8	To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹7000 crore through various modes such as QIP/FPO/Rights issue.
9	Election of ONE Shareholder Director.

Cut-off / Record date for voting:

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off /Record date i.e. **Friday, 24th July, 2026**, shall be eligible for voting on **agenda items no. 1 to 8** and **Friday, 26th June, 2026**, shall be eligible for voting on **agenda item no. 9**.

Remote E-voting:

The remote e-voting period will commence on **Monday, 27th July, 2026 at 10.00 AM** and end on **Thursday, 30th July, 2026 at 05.00 PM**. The remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The copy of 19th Annual General Meeting of Bank is enclosed herewith.

Please take the same on your record.

Yours faithfully,

For **CENTRAL BANK OF INDIA**

CHANDRAKANT BHAGWAT
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

दिनांक: शुक्रवार, 31 जुलाई 2026

Notice For 19th Annual General Meeting

Date: Friday, 31st July 2026

केंद्रीय कार्यालय: चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
Central Office: Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021
दूरभाष/Tel.: 022-6638 7575

वेबसाइट/Website.: www.centralbank.bank.in

ईमेल/Email ID: investors@centralbank.bank.in

Follow us on



<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>



<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial/>



https://twitter.com/centralbank_in



<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>



https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOtQ0VeQ_XsnQ

19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) / 19th Annual General Meeting (AGM)

क्र.सं. / Sr. No.	व्यौरा / Particulars	पेज संख्या / Page No.
1	एजीएम की सूचना / Notice of AGM	3-6 / 37-40
2	नोट्स / Notes	7-10 / 40-42
3	ई-वोटिंग / E-voting	10-16 / 43-48
4	व्याख्यात्मक विवरण / Explanatory statement	17-28 / 49-59
5	चुनाव के लिए फॉर्म / Forms for Election	29-36 / 60-66

क्र.सं.	व्यौरा	संक्षिप्त विवरण
1	19वीं एजीएम की तिथि	शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 अपरान्ह 03.00 बजे (आईएसटी)
2	आयोजन का माध्यम	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (“ओएवीएम”)
3	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता हेतु लिंक	https://instameet.in.mpms.mufg.com
4	एजेंडा सं. 1 से 8 तक के लिए रिकार्ड तिथि	शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026
5	एजेंडा सं. 9 के लिए रिकार्ड तिथि	शुक्रवार, 26 जून, 2026
6	शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 16 जुलाई, 2026
7	रिमोट ई-वोटिंग अवधि	सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को सुबह 10.00 (आईएसटी) बजे से गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को शाम 05.00 (आईएसटी) बजे तक
8	स्पीकर शेयरधारक के रूप में पंजीकरण	दिनांक 24 जुलाई, 2026 को सुबह 10.00 (आईएसटी) बजे से 27 जुलाई, 2026 को शाम 05.00 (आईएसटी) बजे तक कृपया मेल करें investors@centralbank.bank.in

Sr. No.	Particulars	Brief Details
1	Date of 19 th AGM	Friday, 31 st July, 2026 at 03.00 PM (IST)
2	Mode of conduct	Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”)
3	Link to participate in the AGM through VC/OAVM	https://instameet.in.mpms.mufg.com
4	Record date for agenda nos. 1 to 8	Friday, 24 th July, 2026
5	Record date for agenda no. 9	Friday, 26 th June, 2026
6	Last date for submission of nominations for Election of Shareholder Director	Thursday, 16 th July, 2026
7	Remote E-voting period	Commencing from Monday, 27 th July, 2026 at 10.00 AM (IST) and ends on Thursday, 30 th July, 2026 at 05.00 PM (IST)
8	Registration as speaker shareholder	Commencing from 24 th July, 2026 at 10.00 am (IST) to 27 th July, 2026 at 5.00 pm (IST) send mail to investors@centralbank.bank.in



बैंक की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना

सूचना दी जाती है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की 19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को अपरान्ह 03.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर विचार एवं निर्णय किया जाएगा।

साधारण कार्य:-

मद संख्या 1

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित बैलेंस शीट तथा एकल एवं समेकित लाभ-हानि खाते पर, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना तथा उन्हें अनुमोदित एवं अंगीकृत करना।

मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा घोषित एवं अनुमोदित ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर कुल ₹1.20 (12%) के 04 (चार) अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

विशेष कार्य:-

मद संख्या 3

बैंक के निदेशक मंडल में श्री बलदेव पुरुषार्थ की भारत सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I दिनांक 24 जुलाई, 2025 के साथ सहपठित अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(i)/2022-BO.I दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से श्री बलदेव पुरुषार्थ की बैंक के सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में 24 जुलाई, 2025 से 19 जून, 2026 तक की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है।”

मद संख्या 4

बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में

श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के कार्यकाल के विस्तार को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(a) के अंतर्गत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I दिनांक 15 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल को उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो 30 नवंबर, 2025 को समाप्त हुआ, के पश्चात उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 2027 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाए जाने को इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 5

बैंक के निदेशक मंडल में श्री कल्याण कुमार की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(a) के अंतर्गत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I दिनांक 30 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री कल्याण कुमार की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 30 सितंबर, 2025 से, अर्थात् उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई नियुक्ति को इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 6

बैंक के निदेशक मंडल में श्री ई. रतन कुमार की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(a) के अंतर्गत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से श्री ई. रतन कुमार की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई नियुक्ति को इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 7

बैंक के निदेशक मंडल में श्री चन्द्रदीप कुमार झा की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।

विचारार्थ तथा उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु :

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा अन्य लागू प्रावधानों जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ eF.No.6/2(i)/2022-BO.I दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से श्री चन्द्रदीप कुमार झा की बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में 19 जून, 2026 से आगामी आदेशों तक की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है।”

मद संख्या 8

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू जैसी विभिन्न विधाओं के माध्यम से अधिकतम ₹7,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने पर विचार करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में संशोधन सहित अथवा रहित पारित किया जाए:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा/या इस संदर्भ में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण की स्वीकृति, अनुमति, संस्तुति व आदेशों के अधीन और उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित शर्तों, नियमों एवं संशोधनों के

अधीन – जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सके – तथा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, तथा अन्य सभी प्रासंगिक लागू कानूनों, अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों एवं समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और बैंक द्वारा जिन स्टॉक एक्सचेंजों में उसके शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्ध समझौतों के अधीन – बैंक के निदेशक मंडल (जिसमें 'कैपिटल रेज़िंग कमेटी' भी सम्मिलित मानी जाएगी, जिसे निदेशक मंडल ने गठित किया है या भविष्य में पुनर्गठित कर सकता है) को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस या अन्य किसी दस्तावेज के माध्यम से, भारत या विदेश में, ऐसे अंशों/श्रेणियों के लिए आरक्षण या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आरक्षित आवंटन की व्यवस्था सहित, ₹10 (केवल दस रुपये) अंकित मूल्य के ऐसे अंशों को जारी करने, प्रस्ताव करने और आवंटित करने का कार्य करें, जिसकी कुल राशि ₹7000 करोड़ (रुपये सात हजार करोड़ मात्र, प्रीमियम सहित यदि हो तो) तक हो, इस प्रकार कि भारत सरकार का न्यूनतम 51% अंश पूंजी में हिस्सेदारी सदैव बनी रहे। यह निर्गम एक या अधिक किस्तों में किया जा सकता है, और यह बैंक के सदस्यगण, कर्मचारीगण, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), निजी या सार्वजनिक कंपनियाँ, निवेश संस्थान, सोसायटीज़, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधियाँ, पेंशन निधियाँ, विकास वित्त संस्थान या ऐसे अन्य संस्थाएं/प्राधिकरण या निवेशक श्रेणियाँ जिन्हें प्रचलित नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है, अथवा इनका कोई संयोजन – जिन्हें बैंक उपयुक्त समझे – को आवंटित किए जा सकते हैं।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू (एफपीओ), राइट्स इश्यू या इनका संयोजन, जिसमें समग्र आवंटन विकल्प के साथ या बिना योग्य संस्थागत प्लेसमेंट शामिल हो सकता है, के माध्यम से किया जाएगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आवंटन बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, और वह ऐसे समय/समयों पर, ऐसी विधि से और ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि निदेशक मंडल को अपनी पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उपयुक्त लगे।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, अन्य



विनियमों तथा सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे निवेशक/निवेशकों को — चाहे वे बैंक के वर्तमान सदस्य हों या न हों — उस न्यूनतम मूल्य पर या उससे अधिक पर, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, निर्गम करने का निर्णय ले सके। यह निर्णय निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आवश्यकतानुसार लीड मैनेजर और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकारों से परामर्श करके या अन्यथा, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसी विधि से तथा ऐसे नियमों और शर्तों पर ले सकेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौतों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सिक्क्योरिटी का ट्रांसफर या जारी किया जाना) विनियमन, 2000 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, और प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों (जिन्हें आगे चलकर सामूहिक रूप से “उपयुक्त प्राधिकरण” कहा गया है) की आवश्यक स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या अनुमोदनों (जिन्हें आगे चलकर “आवश्यक स्वीकृतियां” कहा गया है) के अधीन तथा उन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय लगाए गए नियमों व शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, समय-समय पर, एक या एक से अधिक किस्तों में, ऐसे इक्विटी शेयर या अन्य कोई प्रतिभूतियां (वारंट को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या अदला-बदली योग्य हों, इस प्रकार निर्गम, प्रस्तावित और आवंटित कर सके जिससे कि भारत सरकार की बैंक में इक्विटी शेयर पूंजी में हिस्सेदारी कभी भी 51% से कम न हो। यह निर्गम योग्य संस्थागत खरीदारों को, जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है, के पक्ष में ‘क्यूआईपी’ के अंतर्गत, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में प्रदान किया गया है, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट और/या अन्य किसी दस्तावेज/प्रस्ताव/परिपत्र/स्मरणपत्र के माध्यम से, उस समय प्रचलित कानूनों, सेबी आईसीडीआर विनियमों या अन्य प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मूल्य, शर्तों और नियमों पर किया जा सके।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत यदि योग्य संस्थागत प्लेसमेंट किया जाता है, तो –

ए. प्रतिभूतियों का आवंटन केवल ऐसे योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में परिभाषित है, तथा ऐसी सभी प्रतिभूतियां पूर्णतः चुकता होंगी और इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से 365 दिनों के भीतर उनका आवंटन पूर्ण किया जाएगा।

बी. बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के अंतर्गत, न्यूनतम मूल्य के अनुसार निर्धारित मूल्य पर

अधिकतम पाँच प्रतिशत की छूट के साथ शेयर जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

सी. प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण ‘प्रासंगिक तिथि’ के आधार पर किया जाएगा, जो कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार और शक्ति प्रदान की जाती है कि वह भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, वह स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा अन्य किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्गम, आवंटन तथा सूचीबद्धता के संबंध में स्वीकृति, सहमति, अनुमति अथवा अनुमोदन प्रदान करते समय आवश्यकतानुसार सुझाए या थोपे गए किसी भी संशोधन/परिवर्तन को स्वीकार कर सके, बशर्ते कि निदेशक मंडल द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि नए इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों का निर्गम और आवंटन, यदि कोई किया जाता है, अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन होगा, यदि लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर ही किया जाएगा।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों का निर्गम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (यथा संशोधित) के अधीन होगा तथा ये शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान दर्जे के होंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है, तो वे उस पर वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो उस समय प्रभावी हों, लाभांश के पात्र होंगे।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आवंटन को प्रभावी रूप देने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह सार्वजनिक निर्गम की शर्तों का निर्धारण कर सके, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किस्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि शामिल हैं, और निदेशक मंडल जो कुछ भी आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कार्यवाहियां कर सके, तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और अनुबंधों को क्रियान्वित कर सके। साथ ही, यदि सार्वजनिक निर्गम, निर्गम, आवंटन और निर्गम से प्राप्त धन के उपयोग के संबंध में कोई प्रश्न, कठिनाई या संदेह उत्पन्न होता है, तो निदेशक मंडल उसे सुलझाने अथवा उसके लिए निर्देश/निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत होगा, तथा वह निर्गम की शर्तों एवं नियमों में संशोधन, परिवर्तन, विविधता, परिवर्तन, विलोपन या वृद्धि को, जैसा कि वह बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझे, स्वीकार और क्रियान्वित कर सकेगा, इसके लिए सदस्यों की किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक तथा निदेशक मंडल को प्रदत्त सभी या कोई भी अधिकार निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त किए जा सकेंगे।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह किसी भी बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ऑडिटर तथा ऐसी

सभी एजेंसियों के साथ, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के इस प्रस्ताव में शामिल या संबद्ध हों, आवश्यक समस्त व्यवस्थाओं/संधियों में प्रविष्ट होने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत हो, तथा ऐसी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या अन्य किसी उपयुक्त रूप में पारिश्रमिक प्रदान करने हेतु भी अधिकृत हो; साथ ही वह इन एजेंसियों के साथ सभी आवश्यक समझौतों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रविष्ट हो सके एवं उन्हें क्रियान्वित कर सके।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु, निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके, निर्गम के स्वरूप और शर्तों का निर्धारण कर सके, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किस्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो), अंकित मूल्य, निर्गम/ परिवर्तन/ वारंट्स के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के रिडेम्पशन पर लगने वाला प्रीमियम, ब्याज दर, रिडेम्पशन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या रिडेम्पशन या निरस्तीकरण पर मिलने वाले इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम/परिवर्तन पर छूट या प्रीमियम, ब्याज की दर, परिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर की तिथि का निर्धारण एवं अन्य संबंधित या अनुषंगिक विषय, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता आदि शामिल हैं, जैसा कि निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त समझे।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों में से जो सदस्यता के लिए नहीं लिए गए हों, उन्हें निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, जैसा उसे उपयुक्त एवं विधिसम्मत लगे, उस प्रकार से निष्पादित करने के लिए अधिकृत होगा।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से ऐसा कोई भी कार्य, कृत्य, विषय अथवा प्रक्रिया कर सके, जो वह आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय समझे, तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सके। साथ ही निदेशक मंडल को यह अधिकार भी प्रदान किया जाता है कि वह अपने विवेकानुसार सभी आवश्यक, उपयुक्त अथवा सुविधाजनक दस्तावेजों एवं लेखों को अंतिम रूप देने, निष्पादित करने और लागू करने हेतु, कोई भी कार्य, कृत्य, विषय अथवा प्रक्रिया कर सके, और इसके लिए उसे पुनः किसी भी प्रकार की शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह मानते हुए कि इस प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों ने स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह इस प्रस्ताव के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए सभी अथवा इनमें से किसी एक या अधिक अधिकारों को, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक(गण), या ऐसे अन्य अधिकारी(गण) अथवा निदेशक मंडल की किसी समिति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु प्रत्यायोजित कर सके।”

मद संख्या 9

एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन.

बैंक के शेयरधारकों में से, केंद्रीय सरकार को छोड़कर, ऐसे एक निदेशक का चुनाव करना, जिसके संबंध में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों। यह चुनाव बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 9(3)(i), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे “विनियमन अधिनियम” कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे आगे “योजना” कहा गया है), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे आगे “विनियम” कहा गया है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (जिसे आगे “सेबी सूचीबद्धता विनियम” कहा गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 28.11.2025 (वाणिज्यिक बैंक – शासन) निर्देश, 2025 एवं उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, के अनुसार किया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित आम प्रस्ताव पारित किया जाएगा:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री/श्रीमती _____, जिन्हें बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i), उसके अंतर्गत बनाई गई प्रासंगिक योजना एवं विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों तथा अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है, उन्हें एतद्वारा बैंक का निदेशक नियुक्त किया जाता है। वे 01 अगस्त, 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा 31 जुलाई, 2029 तक, अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।”

निदेशक मंडल के आदेश से

(चंद्रकांत भागवत)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 23 जून, 2026

स्थान: मुंबई



टिप्पणियाँ:

1. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत तैयार किया गया यह व्याख्यात्मक विवरण, बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले **व्यवसाय मद संख्या 3 से 9 से** संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाता है, जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम द्वारा एजीएम का आयोजन:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित 22 सितम्बर, 2025 के परिपत्र संख्या 3/2025 के अनुसार, बैंक 19वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम द्वारा कर रहा है, जिसमें सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। अतः सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से उपस्थित माना जाएगा। मुंबई स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय एजीएम आयोजित होने का स्थल माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य, अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है तथा प्रॉक्सी का बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए के परिपत्रों के अनुसार वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को भौतिक उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप, इस एजीएम हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्ची सूचना-पत्र के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बैंक द्वारा प्रदत्त अंतरिम लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने ₹10/- अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रत्येक तिमाही के लिए अंतरिम लाभांश घोषित किया था तथा बैंक द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड तिथियों के अनुसार शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में इसका भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक द्वारा घोषित एवं भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	लाभांश का प्रकार	बैंक के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश घोषणा की तिथि	लाभांश (%)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश राशि (₹)
1	प्रथम अंतरिम लाभांश	19.07.2025	2%	0.20
2	द्वितीय अंतरिम लाभांश	17.10.2025	2%	0.20
3	तृतीय अंतरिम लाभांश	16.01.2026	2%	0.20
4	चतुर्थ अंतरिम लाभांश	30.04.2026	6%	0.60
कुल			12%	1.20

4. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित होने या मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा, जब तक कि उसे अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की सत्यापित प्रति (जिस बैठक में वह प्रस्ताव पारित किया गया हो) बैंक को ई-मेल द्वारा investors@centralbank.bank.in पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम-से-कम चार दिन पूर्व, अर्थात् **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक** प्राप्त न हो जाए।

5. बैंक का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी शेयरधारक का अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations>; स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

बैंक उन शेयरधारकों को भी एक पत्र भेजेगा, जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उस पत्र में वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेब-लिंक तथा उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसार, लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाता है जिन्होंने अपनी केवाईसी एवं बैंक खाते का विवरण डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अद्यतन किया है। लाभांश वारंट अथवा चेक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जहाँ भी लागू हो, बैंक द्वारा अंतरिम लाभांश के भुगतान के समय निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की गई है।

8. बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों के पंजीकरण हेतु एक विशेष ई-मेल आईडी investors@centralbank.bank.in निर्धारित की है। यदि किसी सदस्य को खातों अथवा एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विषय के संबंध में जानकारी अपेक्षित हो तो वे बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2026 तक उपर्युक्त ई-मेल पते पर बैंक को लिख सकते हैं। बैंक द्वारा उचित रूप से उत्तर प्रदान किया जाएगा।

9. ई-मेल आईडी एवं बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण

बैंक की एजीएम सूचना एवं एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु ई-मेल आईडी का पंजीकरण तथा लाभांश भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण अद्यतन करने की प्रक्रिया: यदि शेयरधारक की ई-मेल आईडी बैंक/उसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (RTA)/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग से संबंधित लॉग-इन विवरण पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिए जाएंगे।

यदि किसी शेयरधारक ने बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है अथवा भविष्य में घोषित होने वाले लाभांश की प्राप्ति हेतु अपने बैंक खाते का अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए:

(i) कृपया बैंक के आरटीए एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MUG Intime India Pvt. Ltd.) की वेबसाइट पर लॉग-इन करें और Investor Services > Email/Bank Detail Registration अनुभाग में जाकर आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा आवेदन प्रस्तुत करें।

अथवा

(ii) **डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए:** शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं तथा डीमैट खाते में ई-मेल आईडी एवं बैंक खाते का विवरण, डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करा सकते हैं।

(iii) **भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए:** जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक स्वरूप में हैं तथा जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे विधिवत भरा हुआ आईएसआर-1 (ISR-1) प्रपत्र तथा आवश्यक दस्तावेज एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को भेजकर अपनी ई-मेल आईडी एवं बैंक खाते का विवरण अद्यतन करा सकते हैं। पता: MUG Intime

India Pvt. Ltd. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083 या फिर, विधिवत भरे हुए आईएसआर-1 प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति ई-मेल द्वारा rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर भेज सकते हैं।

बैंक द्वारा प्रारंभ की गई “हरित पहल” के अनुरूप, भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते बैंक के आरटीए के पास पंजीकृत कराएं। वहीं, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं।

10. बैंक के शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण एवं नामांकन का अद्यतन:

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 दिनांक 06 फरवरी, 2026 के माध्यम से निवेशकों के सेवा अनुरोधों के निस्तारण तथा आरटीए द्वारा पैन, उनका केवाईसी विवरण एवं नामांकन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए सरल एवं मानकीकृत प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उन्होंने केवाईसी विवरण एवं नामांकन विकल्प को अद्यतन नहीं कराया है, तो वे बैंक के आरटीए के पास निम्नलिखित प्रपत्र जमा करें:

क्रम संख्या	प्रपत्र	उद्देश्य
1	प्रपत्र ISR-1	पैन एवं केवाईसी विवरण का पंजीकरण/अद्यतन
2	प्रपत्र ISR-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि
3	प्रपत्र ISR-3	नामांकन न करने (Opting-out) संबंधी घोषणा पत्र
4	प्रपत्र SH-13	नामांकन प्रपत्र
5	प्रपत्र SH-14	नामांकन का निरस्तीकरण अथवा परिवर्तन

उपरोक्त सभी प्रपत्र (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13 एवं SH-14) तथा सेबी का उक्त परिपत्र बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> पर उपलब्ध है।

बैंक के आरटीए एवं निवेशक संबंध प्रभाग का संपर्क विवरण निम्नलिखित है:

इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता एमयूएफजी इटाइम इंडिया प्रा. लि.

(पूर्व नाम: लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.)

सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083

दूरभाष: 022-4918 6270

ई-मेल: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com



बैंक के साथ पत्राचार हेतु पता

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021

दूरभाष: 022-6638 7575 / 7818

ई-मेल: investors@centralbank.bank.in

11. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए सूचना:

जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक स्वरूप में रखे गए शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता। अतः शेयरधारकों को तरलता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमैट (Dematerialised) स्वरूप में परिवर्तित करा लें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- अनेक कंपनियों की प्रतिभूतियों को रखने का सुरक्षित एवं सुविधाजनक माध्यम।
- भौतिक शेयर प्रमाण-पत्रों से जुड़े जोखिमों से मुक्ति, जैसे—प्रमाण-पत्रों का खो जाना, प्रमाण-पत्रों का क्षतिग्रस्त होना, गलत वितरण, जाली अथवा कूटरचित प्रमाण-पत्र/पृष्ठांकन आदि।
- प्रतिभूतियों का सरल एवं त्वरित अंतरण।
- डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होता।
- अधिकार निर्गम(Rights Issue), बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट आदि लाभों एवं कॉर्पोरेट कार्यवाहियों का सीधा क्रेडिट शेयरधारक के डीमैट खाते में प्राप्त होता है।

12. भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने हेतु विशेष अवधि

सेबी के दिनांक 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक शेयरों के अंतरण संबंधी लंबित अनुरोधों को, जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, बैंक के आरटीए के पास 04 फरवरी, 2027 तक प्रस्तुत कर दें। इसके लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष अवधि (Special Window) उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत किया जा सके, जो 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे किन्तु दस्तावेजों अथवा प्रक्रिया में कमी के कारण अस्वीकृत, वापस कर दिए गए अथवा लंबित रह गए थे।

13. ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र (SMART ODR)

सेबी द्वारा 31 जुलाई, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 तथा 04 अगस्त, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135, जिन्हें 31 जुलाई,

2023 के मास्टर परिपत्र (11 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार भारतीय प्रतिभूति बाजार से संबंधित विवादों के समाधान हेतु एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ODR Portal) स्थापित किया गया है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/बैंक के समक्ष उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों तथा वर्तमान SCORES मंच का उपयोग करने के बाद भी यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो निवेशक ODR पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं।

14. अदावा लाभांश / शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B के अनुसार, जो लाभांश भुगतान की तिथि से सात वर्ष तक अवैतनिक या अप्राप्त रहता है, उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात उस राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उपरोक्त के अनुपालन में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित सभी अवैतनिक अथवा अदावा लाभांशों को उक्त निधि में स्थानांतरित कर दिया है। जिन शेयरधारकों के अदावा लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, वे आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब प्रपत्र आईईपीएफ-5 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर उक्त राशि का दावा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B में किए गए संशोधन के अनुसार, वे सभी इक्विटी शेयर जिन पर घोषित लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक अप्राप्त अथवा दावा न किया गया हो, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस प्रावधान के अनुपालन में बैंक उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को जिन्होंने पिछले सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक लाभांश का दावा नहीं किया है, आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के अदावा लाभांशों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसे शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भविष्य में इन शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2E) के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक के संबंध में अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर पर

मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बँडके) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम में दर्ज है, तो मतदान के उद्देश्य से रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने तथा कार्यसूची पर मतदान करने का अधिकारी होगा। मतदान रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में किया जा सकता है, बशर्ते मतदान अधिकार का प्रयोग पहले से रिमोट ई-वोटिंग द्वारा न किया गया हो।

16. मतदान हेतु कट-ऑफ / रिकॉर्ड तिथि

1. बैंक के वे शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डीमैट रूप में शेयर धारक होंगे, कार्यसूची की **मद संख्या 1 से 8 तक** पर मतदान करने के पात्र होंगे।
2. बैंक के वे शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 26 जून, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डीमैट स्वरूप में शेयर धारक होंगे, कार्यसूची की **मद संख्या 9** पर मतदान करने के पात्र होंगे।

17. रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(1), कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (संशोधित रूप से) तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में, बैंक वैकल्पिक मतदान व्यवस्था के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे सदस्यों को अपने मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने में सुविधा होगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता **एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, जो सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित है, के अनुसार मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों के लिए उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी अथवा डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है। व्यक्तिगत डीमैट खाता धारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ पुनः पंजीकरण कराए बिना ही अपना मत प्रदान कर सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में सरलता एवं सुविधा भी प्राप्त होगी। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करने की सलाह दी जाती है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होगी और गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात

मतदान हेतु एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मांड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

डीमैट मोड/भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया, निर्देश तथा लॉगिन करने की विधि निम्नलिखित है:

दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन की विधि :

एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगिन

- ए) यूआरएल पर जाएँ: <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp>
- बी) अपना 8-अक्षरीय डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करें तथा ओटीपी जनरेट करें।
- सी) अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
- डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
- ई) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "ई-वोटिंग" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु 'इंस्टा वोट' वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

विधि 2 - एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा

आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक :

- ए) यूआरएल <https://eservices.nsdl.com> पर जाएँ तथा "IDeAS अनुभाग" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।
- बी) अपना IDeAS यूजर आईडी, पासवर्ड तथा सत्यापन कोड दर्ज करें और "लॉगइन" पर क्लिक करें।
- सी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आप मूल्य संवर्धित सेवाएँ अनुभाग के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
- डी) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।



आईडीईएस सुविधा के अन्तर्गत गैर पंजीकृत शेयरधारक :

- पंजीकरण के लिए यूआरएल <https://eservices.nsdl.com> पर जाएँ तथा "Register Online for IDEAS Portal" का चयन करें अथवा <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp> पर क्लिक करें।
- अपना 8-अक्षरीय डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर तथा सत्यापन कोड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें / 'ओटीपी' जनरेट करें।
- सफल पंजीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
- उपर्युक्त बिंदु (ए) से (डी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speed" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience



विधि 3 - एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट

- यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> पर जाएँ।
- 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "Login" टैब पर क्लिक करें।
- यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ धारित आपके डीमैट खाते की 16-अंकीय संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करें और "Login" पर क्लिक करें।
- सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
- "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - सीडीएसएल ई-वोटिंग पृष्ठ

- यूआरएल <https://www.cdslindia.com> पर जाएँ।
- ई-वोटिंग टैब पर जाएँ।
- 16-अंकीय डीमैट खाता संख्या (बीओ आईडी) तथा पैन संख्या दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।
- प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगी।

- सफल प्रमाणीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् "एमयूएफजी इनटाइम" के लिंक उपलब्ध होंगे। "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

विधि 2 - सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा

ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

- यूआरएल <https://web.cdslindia.com/mycasitoken/Home/Login> पर जाएँ अथवा www.cdslindia.com पर जाकर "Login" पर क्लिक करें और "My Easi New (Token)" का चयन करें।
- अपना वर्तमान यूजरनेम एवं पासवर्ड दर्ज करें और "Login" पर क्लिक करें।
- सफल प्रमाणीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् एमयूएफजी इनटाइम के लिंक उपलब्ध होंगे। "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले शेयरधारक:

- पंजीकरण हेतु यूआरएल <https://web.cdslindia.com/mycasitoken/Home/EasiRegistration> अथवा <https://web.cdslindia.com/mycasitoken/Home/EasiestRegistration> पर जाएँ।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण/फील्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- सफल पंजीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता को उसके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर यूजरनेम एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। इसके बाद उपर्युक्त बिंदु (ए) से (सी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।

- डीपी (डिपॉजिटरी प्रतिभागी) की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- सफल लॉगिन के उपरांत उपयोगकर्ता "e-voting" विकल्प पर जाएँ।
- "e-voting" विकल्प पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा, जहाँ वह ई-वोटिंग सुविधा

देख सकेगा।

डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत “एमयूएफजी इनटाइम” अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित “e-voting” लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारकों / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन की विधि।

ई-वोटिंग हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक निम्नानुसार इंस्टा वोट पर पंजीकरण कर मतदान कर सकते हैं :

चरण 1 : इंस्टा वोट पर लॉगिन / साइन-अप

इंस्टा वोट सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक :

ए) यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा ‘SHARE HOLDER’ टैब के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें।

बी) निम्नानुसार विवरण दर्ज करें :

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. यूजर आईडी: यूजर आईडी दर्ज करें
2. पासवर्ड: वर्तमान पासवर्ड दर्ज करें
3. इमेज सत्यापन (कैप्चा) कोड दर्ज करें”.
4. Submit पर क्लिक करें.

(ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा। इसके पश्चात “प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण” के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का पालन करें।)

इंस्टा वोट सुविधा के लिए गैर पंजीकृत शेयरधारक:

ए) यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा ‘SHARE HOLDER’ टैब के अंतर्गत “Sign Up” पर क्लिक करें और निम्नानुसार विवरण भरकर पंजीकरण करें :

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. यूजर आईडी: यूजर आईडी दर्ज करें
2. पैन: अपना 10-अंकीय स्थायी खाता संख्या दर्ज करें। (जिन शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के साथ अद्यतन नहीं किया है, वे लागू होने पर उन्हें प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें।)

3. जन्म तिथि/निगमन तिथि : अपनी जन्म तिथि / निगमन तिथि DD/MM/YYYY प्रारूप में दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के अभिलेखों में दर्ज है)

4. बैंक खाता संख्या: अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के अभिलेखों में दर्ज है।

- **एनएसडीएल फॉर्म में** शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उपर्युक्त बिंदु 4 में दी गई जानकारी प्रदान करेंगे।
- **सीडीएसएल फॉर्म में** शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उपर्युक्त बिंदु 3 अथवा बिंदु 4 में दी गई जानकारी प्रदान करेंगे।
- **भौतिक रूप में** शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयरधारक, जिनके लिए उपर्युक्त बिंदु 3 एवं बिंदु 4 में उल्लिखित विवरण अभिलेखित नहीं हैं, वे उपर्युक्त बिंदु 4 में अपने फोलियो नंबर का उल्लेख करेंगे।

5. अपनी पसंद का पासवर्ड निर्धारित करें।

(पासवर्ड में न्यूनतम 8 अंक होने चाहिए तथा उसमें कम से कम एक विशेष वर्ण (!#\$%&*), एक अंक, एक अक्षर तथा एक कैपिटल अक्षर होना आवश्यक है।)

6. इमेज सत्यापन (कैप्चा) कोड दर्ज करें।

7. सबमिट पर क्लिक करें” (अब आपका इंस्टा वोट पर पंजीकरण हो चुका है।)

सफल पंजीकरण के उपरांत ‘SHARE HOLDER’ टैब के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें तथा उपर्युक्त बिंदु (ए) से (बी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 2 : इंस्टा वोट के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण

ए. सफल प्रमाणीकरण तथा इंस्टा वोट इनबॉक्स पेज पर पुनर्निर्देशन के उपरांत, आप “Notification for e-voting” देख सकेंगे।

बी. ‘View’ आइकन का चयन करें। ई-वोटिंग पेज प्रदर्शित हो जाएगा।

सी. प्रस्ताव के विवरण को देखें और ‘पक्ष में’ / ‘विपक्ष में’ में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन कर मतदान करें। (यदि आप प्रस्ताव का पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो ‘View Resolution’ फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।)

डी. इच्छित विकल्प अर्थात् ‘पक्ष’ / ‘विपक्ष’ का चयन करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें।

ई. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो ‘Yes’ पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए ‘No’ पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत में संशोधन करें।

नोट : शेयरधारक मतदान करने से पूर्व “Vote as per Proxy Advisor’s Recommendation” विकल्प पर क्लिक कर प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में प्रॉक्सी सलाहकार की अनुशंसाओं को देख सकते हैं। “Vote as per Proxy Advisor’s Recommendation” विकल्प ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों की राय एवं सुझावों तक पहुंच



प्रदान करता है। अंतिम रूप से मत प्रस्तुत करने से पूर्व शेयरधारक अपने मत में संशोधन कर सकते हैं।

एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

गैर-व्यक्तिगत निगमित निकाय शेयरधारक अपने प्रतिनिधि को मतदान हेतु प्राधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन की हुई प्रति, जांचकर्ता के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेंगे तथा उसकी प्रति रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) को enotices@in.mpms.mufg.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी प्रेषित करेंगे।

संस्थागत शेयरधारकों (“अभिरक्षक/ निगमित निकाय/ म्यूचुअल फंड”) के लिए दिशानिर्देश

चरण 1 – अभिरक्षक/ निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड का पंजीकरण

- यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ।
- “अभिरक्षक/ निगमित निकाय/ म्यूचुअल फंड” के अंतर्गत “Sign Up” पर क्लिक करें।
- अपनी संस्था/निकाय से संबंधित विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।
- एक घोषणा-पत्र तथा संस्था आईडी तैयार होकर प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी (जो साइन-अप के समय दर्ज की गई है)। उक्त फॉर्म पर संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, निदेशक अथवा कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे तथा संस्था की मुहर लगाकर उसे insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाएगा।
- इसके उपरांत लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी, ऑर्गनाइजेशन आईडी एवं पासवर्ड) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ई-मेल आईडी पर भेज दिए जाएँगे। (अब आपका इंस्टा वोट पर पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।)

चरण 2 – निवेशक मैपिंग

- यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा अपने **इंस्टा वोट लॉगिन क्रेडेंशियल** का उपयोग करके लॉगिन करें।
- मेन्यू अनुभाग के अंतर्गत “Investor Mapping” टैब पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरणों के साथ निवेशक की मैपिंग करें:
 - ‘निवेशक आईडी’ – एनएसडीएल डीमैट खाते के लिए निवेशक आईडी 8-अक्षरीय डीपी आईडी के बाद 8-अंकीय क्लाइंट आईडी होगी, अर्थात् IN00000012345678. सीडीएसएल डीमैट खाते के लिए निवेशक आईडी 16-अंकीय लाभार्थी आईडी होगी।
 - ‘निवेशक का नाम’ – डीपी के अभिलेखों में अद्यतन नाम के अनुसार निवेशक का नाम दर्ज करें।
 - ‘निवेशक का पैना’ – अपना 10-अंकीय पैना दर्ज करें।

4. ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ – बोर्ड प्रस्ताव अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति संलग्न करें।

नोट : बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की फ़ाइल का नाम डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी अथवा 16-अंकीय लाभार्थी आईडी के अनुसार होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अभिरक्षक एवं म्यूचुअल फंड को अपने नमूना हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।

डी. “Submit” बटन पर क्लिक करें। (अब निवेशक की मैपिंग अभिरक्षक / निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड इकाई के साथ हो जाएगी) इसकी जानकारी “Report” अनुभाग के अंतर्गत देखी जा सकती है।

चरण 3 – इंस्टा वोट के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण

निगमित शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित दो विधियों से मतदान कर सकता है।

विधि 1 – मत प्रविष्टि

- यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा अपने इंस्टा वोट लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।
- मेन्यू अनुभाग के अंतर्गत “Votes Entry” टैब पर क्लिक करें।
- उस “Event No.” को दर्ज करें, जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं।
Event No. को इंस्टा वोट के होम पेज पर “On-going Events” के अंतर्गत देखा जा सकता है।
- 16-अंकीय डीमैट खाता संख्या दर्ज करें।
- प्रस्ताव का विवरण देखें तथा ‘पक्ष’ / ‘विपक्ष’ में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन कर मतदान करें। (यदि आप प्रस्ताव का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो ‘View Resolution’ फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।) इच्छित विकल्प अर्थात् ‘पक्ष’ / ‘विपक्ष’ का चयन करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें।
- एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो ‘Yes’ पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए ‘No’ पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत में संशोधन करें।

(एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पायेंगे)

विधि 2 – मत अपलोड

- यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा अपने इंस्टा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।
- सफल लॉगिन के उपरांत आपको “Notification for e-voting” दिखाई देगा।
- “Company’s Name / Event Number” के लिए “View” आइकन का चयन करें।

- डी) ई-वोटिंग पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
- ई) “Download Sample Vote File” टैब से नमूना मतदान फ़ाइल डाउनलोड करें।
- एफ) नमूना मतदान फ़ाइल में ‘पक्ष’ / ‘विपक्ष’ में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन करके अपना मत दर्ज करें तथा उसी फ़ाइल को “Upload Vote File” विकल्प के अंतर्गत अपलोड करें।
- जी) ‘Submit’ पर क्लिक करें। ‘Data uploaded successfully’ का संदेश प्रदर्शित होगा।

(एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पायेंगे)

नोट: गैर-व्यक्तिगत निगमित निकाय शेयरधारक अपने प्रतिनिधि को मतदान हेतु प्राधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति जांचकर्ता के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेंगे तथा उसकी प्रति रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) को enotices@in.mpms.mufg.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी प्रेषित करेंगे।

हेल्पडेस्क :

भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक :

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, यदि लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं, तो वे इंस्टा वोट हेल्पडेस्क से enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर अथवा निम्नलिखित दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं : दूरभाष : 022 - 4918 6000.

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक डिजिटल अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या हेतु संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क जानकारी
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य अपनी समस्या का विवरण evoting@nsdl.co.in ई-मेल पर भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क जानकारी
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य अपनी समस्या का विवरण helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल पर भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

पासवर्ड भूलने की स्थिति में :

भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/ डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

यदि भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक / डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो वे <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध “Forgot Password” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no., registered with the Company

- ‘शेयरधारक’ टैब के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात “Forgot Password?” पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें, मोड का चयन करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “Submit” पर क्लिक करें।

यदि कस्टोडियन / कॉर्पोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो वे <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध “Forgot Password” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं

- “कस्टोडियन/ कॉर्पोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड” टैब के अंतर्गत “लॉगिन” पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात “Forgot Password?” पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता आईडी, संगठन आईडी तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “Submit” पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों का वैध ई-मेल पता पंजीकृत है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिया जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न एवं उत्तर, पैन, जन्म तिथि/निगमन तिथि आदि का विवरण प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड निर्धारित कर सकते हैं। पासवर्ड में न्यूनतम 8 वर्ण होने चाहिए तथा उसमें कम से कम एक विशेष चिन्ह (!#\$%&★), एक अंक, एक अल्फाबेट अक्षर और एक कैपिटल लेटर अवश्य होना चाहिए।



एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जो अपना पासवर्ड भूल गए हों:

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा यदि अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो उन्हें संबंधित डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी की उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध “यूज़र आईडी भूल गए” “Forget User ID” तथा “Forget Password” विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

शेयरधारकों हेतु आम निर्देश

- यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसित किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों/सदस्यों के लिए, इन विवरणों का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल प्रस्तावों पर मतदान करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक/सदस्य किसी विशेष “इवेंट” के लिए प्रस्ताव/प्रस्तावों पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं।
 - कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शेयर धारित करता है, वह ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
 - इस सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

18. रिमोट ई-वोटिंग / बैठक में मतदान हेतु संवीक्षक:

- “ठाणे स्थित एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित कराने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

19. रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में मतदान के परिणाम:

- संवीक्षक, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात दो (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर, बैंक के कर्मचारी न होने वाले कम-से-कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों को अनब्लॉक करेंगे तथा पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों, यदि कोई हों, की संवीक्षक रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
- घोषित परिणाम, संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक आम

बैठक में प्रस्ताव पारित होने की तिथि से दो (2) दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनकी सूचना बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी दी जाएगी।

20. बैठक का परिणाम:

प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने की शर्त पर, प्रस्तावों को बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तिथि पर पारित माना जाएगा।

21. बैठक की रिकॉर्डेड प्रतिलिपि/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही यथाशीघ्र बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

22. ई-वोटिंग एवं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 22.09.2025 के आम परिपत्र संख्या 03/2025 के अनुसार, कंपनियाँ वर्तमान प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम से वार्षिक आम बैठकें आयोजित करना जारी रख सकती हैं। अगले आदेश तक यह छूट प्रभावी रहेगी।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इंस्टामीट सुविधा का उपयोग करने हेतु अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी सही रूप से अद्यतन रखें

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए लॉगिन की प्रक्रिया:

- यूआरएल <https://instameet.in.mpms.mufg.com> पर जाएँ तथा “Login” पर क्लिक करें।
- “कंपनी का नाम” का चयन करें और निम्नलिखित विवरणों के साथ अपना पंजीकरण करें।
- “डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या/ पैन)” वाले चेक बॉक्स का चयन करें।

- एनएसडीएल/सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक “डीमैट खाता संख्या” वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या दर्ज करें।
- भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक “फोलियो संख्या” वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करें।
- शेयरधारक “पैन” वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा 10 अंकों की स्थायी खाता संख्या दर्ज करें। जिन शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के साथ अद्यतन नहीं कराया है, वे, यदि लागू हो, एमयूएफजी इंटाइम द्वारा प्रदान की गई क्रम संख्या का उपयोग करें।

- मोबाइल नंबर: डीपी के साथ अद्यतन मोबाइल नंबर स्वतः प्रदर्शित होगा। जिन शेयरधारकों ने अपना मोबाइल नंबर डीपी के साथ अद्यतन नहीं कराया है, उन्हें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- ई-मेल आईडी: डीपी के साथ अद्यतन ई-मेल आईडी स्वतः प्रदर्शित होगी। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी डीपी के साथ अद्यतन नहीं कराई है, उन्हें अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी।

डी) “Go to Meeting” पर क्लिक करें।

अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हो चुके हैं तथा बैठक हेतु आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली गई है।

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक के दौरान मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

बैठक के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान सक्रिय किया जाएगा, तब वे शेयरधारक जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है, निम्नानुसार मतदान कर सकते हैं:

- ए) शेयरधारक वीसी पृष्ठ पर “Cast your vote” लिंक पर क्लिक करें।
- बी) अपनी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या तथा इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- सी) “सबमिट” पर क्लिक करें।
- डी) सफलतापूर्वक लॉगिन होने के पश्चात आपको “प्रस्ताव का विवरण (Resolution Description)” दिखाई देगा तथा उसके सामने मतदान हेतु “पक्ष में” / “विपक्ष में” का विकल्प उपलब्ध होगा।
- ई) अपनी इच्छा के अनुसार उपयुक्त विकल्प अर्थात् “पक्ष में” या “विपक्ष में” का चयन करके मतदान करें। ‘पक्ष में’/‘विपक्ष में’ के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दर्ज करें।
- एफ) अपनी इच्छा के अनुसार “पक्ष में” या “विपक्ष में” विकल्प का चयन करने तथा मतदान का निर्णय लेने के पश्चात “सेव” पर क्लिक करें। इसके बाद एक पुष्टि बॉक्स (Confirmation Box) प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो “कन्फर्म” पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए “बैक” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशोधित करें। एक बार किसी प्रस्ताव पर अपने मत की पुष्टि कर देने के पश्चात आपको उसे बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

नोट:

जो शेयरधारक/सदस्य इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं दिया है और जो अन्यथा मतदान करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

जो शेयरधारक/सदस्य आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, वे इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे बैठक के दौरान पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को ब्रॉडबैंड से जुड़े टैबलेट अथवा लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों, टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े लैपटॉप का उपयोग करने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान या गुणवत्ता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अतः ऐसी समस्याओं से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

हेल्पडेस्क:

लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक अपनी समस्या का विवरण instameet@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 022 - 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने हेतु निर्देश

जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकरण अनुरोध एवं प्रश्न ई-मेल आईडी investors@centralbank.bank.in पर 24 जुलाई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से 27 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।

टिप्पणी:

केवल वे ही शेयरधारक/सदस्य, जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया होगा, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने अथवा प्रश्न पूछने के लिए अनुमत होंगे। बैंक, वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

*शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल तभी बोलें जब बैठक के संचालक अथवा प्रबंधन द्वारा उनके नाम एवं क्रम संख्या की घोषणा की जाए।

शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरा का उपयोग करना चाहिए तथा बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) का उपयोग करना आवश्यक है।



व्याख्यात्मक विवरण

एजेंडा मद सं. 3

बैंक के निदेशक मंडल में श्री बलदेव पुरुषार्थ की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I दिनांक 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से श्री बलदेव पुरुषार्थ को 24.07.2025 से प्रभावी तथा आगामी आदेश तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिनांक 19 जून, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से श्री बलदेव पुरुषार्थ के स्थान पर श्री चन्द्रदीप कुमार झा को नामित किया है। अतः श्री बलदेव पुरुषार्थ दिनांक 19 जून, 2026 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री बलदेव पुरुषार्थ** की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार **श्री बलदेव पुरुषार्थ** का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे दिया गया है:

नाम	श्री बलदेव पुरुषार्थ
डीआईएन	07570116
आयु	52 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति तिथि	24 जुलाई, 2025 से 19 जून, 2026
शैक्षणिक योग्यता	एम.ए. (इतिहास)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय:

श्री बलदेव पुरुषार्थ को 24 जुलाई, 2025 से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्ष 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त होने से पूर्व वे लोकपाल सचिव तथा पंजाब के जालंधर मंडल के मंडलायुक्त के रूप में कार्यरत रहे हैं।

उन्होंने पंजाब सरकार तथा भारत सरकार में विभिन्न क्षेत्रीय एवं सचिवालय पदों पर भी कार्य किया है। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव, पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक, पंजाब के तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशक, पंजाब के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) आयुक्त तथा पंजाब सरकार के व्यय विभाग में विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाला है।

उन्होंने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के कार्यकारी बोर्ड में निदेशक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड में वैकल्पिक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

इसके अतिरिक्त, वे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), इंडियन रेल्वे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसीएल), इंडियन रेल्वे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी), नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल), नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलएमसीएल), ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) – नामित निदेशक

अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) – लिस्टेड कंपनी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति – सदस्य
निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण	किसी भी निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से निदेशक ने त्यागपत्र दिया है	शून्य।

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को भुगतान किए गए बैठक भत्ते संबंधी अन्य विवरणों के लिए कृपया एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा सूचना में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनके शेयरधारण के हित की सीमा को छोड़कर, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अथवा सरोकार नहीं है।

एजेंडा मद सं. 4

बैंक के निदेशक मंडल में श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल के विस्तार के अनुमोदन हेतु।

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के माध्यम से बैंक के निदेशक मंडल में श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की अवधि को 15.09.2025 से प्रभावी रूप से, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल जो 30 नवम्बर, 2025 को समाप्त हुआ था, के पश्चात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 2027 तक अथवा आगामी आदेश तक बढ़ा दिया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री एम. वी. मुरली कृष्णा** की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार **श्री एम. वी. मुरली कृष्णा** का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे दिया गया है।

नाम	श्री एम. वी. मुरली कृष्णा
डीआईएन	09021111
आयु	59 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति तिथि	01 दिसंबर, 2022
शैक्षणिक योग्यता	एमबीए (बैंकिंग एवं वित्त)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय : श्री एम. वी. मुरली कृष्णा ने 1 दिसम्बर, 2022 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में उनकी अंतिम नियुक्ति बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के कॉर्पोरेट एवं संस्थागत ऋण विभाग के प्रमुख के रूप में थी।

बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए की उपाधि प्राप्त श्री मुरली कृष्णा ने बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी तथा उन्हें नेतृत्वकारी भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का व्यावसायिक बैंकिंग अनुभव प्राप्त है। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कॉर्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एनआरआई व्यवसाय आदि तक विस्तृत है।



बैंकिंग उद्योग में अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक तथा विदेशी क्षेत्रों से लेकर कॉर्पोरेट कार्यालय तक विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट विभाग के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय परिचालन विभाग के प्रमुख, ग्रामीण एवं कृषि विभाग के प्रमुख तथा वित्तीय समावेशन विभाग के प्रमुख जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

उन्होंने बीओबी कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक तथा एएफसी लिमिटेड (कृषि वित्त निगम लिमिटेड) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है

अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद

1. सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड- अध्यक्ष - अनलिस्टेड कंपनी
2. सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड- अध्यक्ष - अनलिस्टेड कंपनी
3. जनरेली सेन्ट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - अध्यक्ष - अनलिस्टेड कंपनी

अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता

शून्य

निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण

किसी भी निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से निदेशक ने त्यागपत्र दिया है

शून्य

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को उनके पूर्व कार्यकाल में भुगतान किए गए बैठक भत्ते संबंधी अन्य विवरणों के लिए कृपया वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा सूचना में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनके शेयरधारण के हित की सीमा को छोड़कर, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अथवा सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 5

बैंक के निदेशक मंडल में श्री कल्याण कुमार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I दिनांक 30 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री कल्याण कुमार को 30.09.2025 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री कल्याण कुमार** की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक(एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा आम बैठक पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार, श्री कल्याण कुमार का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे प्रदान किया गया है।

नाम	श्री कल्याण कुमार
डीआईएन	09631251
आयु	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय

नियुक्ति की तिथि	30 सितंबर, 2025
शैक्षणिक योग्यताएँ	एम.एससी. (कृषि)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय	<p>श्री कल्याण कुमार ने 30 सितंबर, 2025 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) का पदभार ग्रहण किया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री कुमार पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे।</p> <p>श्री कल्याण कुमार ने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य भी हैं तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से ट्रेड फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, आईटी सुरक्षा तथा केवाईसी-एएमएल संबंधी विभिन्न प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं।</p> <p>श्री कुमार ने वर्ष 1995 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में अपने कार्यजीवन की शुरुआत की तथा विभिन्न पदों पर 26 वर्षों से अधिक समय तक बैंक की सेवा की। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों की शाखाओं में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिनमें वीएलबी (अत्यधिक बड़ी शाखाएँ) भी शामिल हैं। वे स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहें। कॉर्पोरेट कार्यालय में उन्होंने बैंक की व्यवसाय प्रक्रिया रूपांतरण, ऋण समीक्षा एवं निगरानी तथा सतर्कता संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में सफल विलय उनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न हुआ।</p> <p>वे पंजाब नेशनल बैंक की दो अनुषंगी कंपनियों, अर्थात् पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड तथा पीएनबी काइर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) सोसायटी के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के नामित सदस्य, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में एससीबी के नामित निदेशक तथा एनआईबीएसकॉम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं।</p> <p>वर्तमान में, वे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की प्रबंधन समिति के सदस्य, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की बैंकिंग संबंधी राष्ट्रीय समिति के सदस्य, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की सलाहकार समिति के बाह्य सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।</p> <p>श्री कुमार ने शीर्ष नेतृत्व विकास हेतु एफएसआईबी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निदेशक विकास कार्यक्रम पूरा किया है, जिसका आयोजन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से एगॉन जेहन्डर द्वारा किया गया था।</p>
अन्य कंपनियों में धारण किए गए निदेशक पद	निरंक
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	निरंक
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	परस्पर में कोई संबंध नहीं।
वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	निरंक

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में निदेशक की उपस्थिति, उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क आदि के संबंध में अन्य विवरणों के लिए कृपया समेकित वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई हित या सरोकार नहीं है।



कार्यसूची मद संख्या 6

बैंक के निदेशक मंडल में श्री ई. रतन कुमार को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I दिनांक 24 नवम्बर, 2025 के माध्यम से श्री ई. रतन कुमार को 24.11.2025 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति अथवा प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में श्री ई. रतन कुमार की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक(एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य सभाओं पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार, श्री ई. रतन कुमार का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे प्रदान किया गया है।

नाम	श्री ई. रतन कुमार
डीआईएन	10686007
आयु	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तिथि	24 नवम्बर, 2025
शैक्षणिक योग्यताएँ	एम. टेक. (कंप्यूटर साइंस)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय	<p>श्री ई. रतन कुमार ने 24 नवम्बर, 2025 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।</p> <p>उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ई. (कंप्यूटर साइंस), हैदराबाद विश्वविद्यालय से एम. टेक. तथा एनएमआईएमएस, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।</p> <p>श्री ई. रतन कुमार ने वर्ष 1997 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी संवर्ग में अपने बैंकिंग कार्यजीवन की शुरुआत की तथा बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का विविध अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व में हैदराबाद एवं भुवनेश्वर क्षेत्र का नेतृत्व वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक तथा हैदराबाद अंचल का नेतृत्व अंचल प्रबंधक के रूप में किया। परिचालन बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी दोनों क्षेत्रों में उनके पास व्यापक अनुभव है, जिसके साथ प्रक्रिया पुनर्रचना के संबंध में उनकी गहन समझ उन्हें संगठन के लिए समृद्ध एवं प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। मुख्य महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) के रूप में उन्होंने विभिन्न डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया तथा बैंक की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना 'डिजिटल स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन' का संचालन एवं मार्गदर्शन किया।</p>
अन्य कंपनियों में धारण किए गए निदेशक पद	1. सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (नामित निदेशक) - अनलिस्टेड कंपनी
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	निरंक
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	परस्पर कोई संबंध नहीं
वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	निरंक

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में निदेशक की उपस्थिति, उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क आदि के संबंध में अन्य विवरणों के लिए कृपया समेकित वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 7

बैंक के निदेशक मंडल में श्री चन्द्रदीप कुमार झा की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(i)/2022-BO.I दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से श्री चन्द्रदीप कुमार झा को 19.06.2026 से प्रभावी तथा आगामी आदेश तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में श्री चन्द्रदीप कुमार झा की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार श्री चन्द्रदीप कुमार झा का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे दिया गया है:

नाम :	श्री चन्द्रदीप कुमार झा
डीआईएन :	11417133
आयु :	50 वर्ष
राष्ट्रीयता :	भारतीय
नियुक्ति तिथि :	19 जून, 2026
शैक्षणिक योग्यता :	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय : श्री चन्द्रदीप कुमार झा (आईएसएस: 2000) को 19 जून, 2026 से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दो दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवाओं का समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में सांख्यिकीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) तथा गृह मंत्रालय (एमएचए), के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने का व्यापक एवं बहुआयामी अनुभव है।

अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने डेटा विश्लेषण, समन्वय, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण, नीतिगत निर्धारण, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास तथा निगरानी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी विशेषज्ञता का दायरा सांख्यिकीय मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार, व्यवसाय सुगमता, औद्योगिक विकास तथा प्रमुख सरकारी पहलों के क्रियान्वयन सहित अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत है।

वे वर्तमान में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सरकार के नामित निदेशक, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अंशकालिक सदस्य तथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई), गुरुग्राम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य भी हैं।



अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद:	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) – सरकार द्वारा नामित निदेशक - लिस्टेड कंपनी
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता:	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) - लिस्टेड कंपनी लेखा परीक्षा समिति – सदस्य हितधारक संबंध समिति – सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – सदस्य
निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण:	आपस में कोई संबंध नहीं।
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया है:	शून्य

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क आदि के अन्य विवरणों के लिए कृपया एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 8

क्यूआईपी / एफपीओ / राइट्स इश्यू जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा कुल ₹7,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने पर विचार करने के संबंध में।

बेसल-III विनियमों के अनुसार, बैंक के लिए इक्विटी पूंजी के रूप में न्यूनतम 5.50% का कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) अनुपात तथा 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी), कुल मिलाकर 9.50% का टियर-1 अनुपात तथा 11.50% का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है। निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का सीआरएआर 17.91% रहा है, जिसमें टियर-I 15.61% (सीसीबी सहित) तथा टियर-II 2.30% है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यवसाय में 14% से 15% की अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने तथा बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने क्यूआईपी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट), एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) अथवा राइट्स इश्यू जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा कुल ₹7,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है। इन विकल्पों का उपयोग बैंक द्वारा आवश्यकता तथा उस समय प्रचलित बाजार परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

उक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत तथा सेबी के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/विनियमों के अधीन जुटाई जाएगी।

निदेशक मंडल ने अपनी 30 अप्रैल, 2026 को आयोजित बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹7,000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 17.91% है। वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ है। 31 मार्च, 2026 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹9,051.40 करोड़ है।

वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यह विशेष प्रस्ताव निदेशक मंडल को एक अथवा एक से अधिक किशतों में, ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा ऐसे निवेशकों को, जिन्हें निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझे, इक्विटी शेयर जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें, जब भी ऐसा निर्गम किया जाएगा, उस समय प्रचलित बाजार

परिस्थितियों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, मर्चेट बैंकरो, लीड मैनेजरो, सलाहकारों तथा बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

उपर्युक्तानुसार यदि इक्विटी शेयरों का निर्गम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

- ✓ इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक तिथि, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VI तथा/अथवा अन्य लागू विनियमों के अनुसार, वह तिथि होगी जिस दिन निदेशक मंडल अथवा उसकी पूंजी जुटाने संबंधी समिति, सदस्यों की स्वीकृति तथा अधिनियम एवं प्रस्तावित इक्विटी शेयर निर्गम से संबंधित अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक अन्य प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात, प्रस्तावित इक्विटी शेयर निर्गम को प्रारंभ करने का निर्णय लेगी।
- ✓ चूंकि प्रस्ताव के मूल्य का निर्धारण बाद के चरण में ही किया जा सकता है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य इस समय बताना संभव नहीं है। तथापि, यह मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा समय-समय पर संशोधित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बँठकें) विनियम, 1998 अथवा अन्य लागू अथवा अपेक्षित दिशानिर्देशों/विनियमों/अनुमोदनों के अनुरूप होगा।
- ✓ पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आवंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमों में परिभाषित क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को किया जाएगा तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 365 दिनों के भीतर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
- ✓ प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें, उस समय की प्रचलित बाजार परिस्थितियों तथा अन्य नियामकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सलाहकारों, लीड मैनेजरो, अंडरराइटरो तथा अन्य आवश्यक प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाएंगी।
- ✓ इस प्रकार यदि प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार कोई अतिरिक्त आवंटन किया जाता है, तो उसे सम्मिलित करते हुए जुटाई गई कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक की निवल संपत्ति के पाँच गुने से अधिक नहीं होगी।
- ✓ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंतर्गत आवंटित पात्र प्रतिभूतियों को आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाने वाले विक्रय को छोड़कर, बेचा नहीं जाएगा।
- ✓ बैंक, उसका प्रमोटर अथवा उसके निदेशक, फरार आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) नहीं हैं।
- ✓ आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, लाभांश सहित सभी दृष्टियों से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान अधिकार (pari passu) वाले होंगे।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्तावों में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 9

एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

- i. बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, जहाँ धारा 3 की उपधारा 2बी के खंड (ग) के अंतर्गत जारी पूंजी, बैंक की कुल चुकता पूंजी के 16% से अधिक हो, वहाँ बैंक के निदेशक मंडल में 2 निदेशक ऐसे होंगे, जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने मध्य से विधिवत निर्वाचित किए जाएंगे।
- ii. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार तथा बैंक के प्रमोटर द्वारा मई 2026 में घोषित ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) निर्गम के पूर्ण होने के पश्चात बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 10.73% से बढ़कर 18.81% हो जाने के परिणामस्वरूप, बैंक दो (02) ऐसे निदेशकों का हकदार है, जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निर्वाचित किए जाएँ। वर्तमान में बैंक के निदेशक मंडल में एक शेयरधारक निदेशक, श्री शारदा कुमार होता, कार्यरत हैं तथा बैंक के निदेशक मंडल में एक अन्य शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है।
- iii. निदेशक मंडल ने अपनी 03 जून, 2026 को आयोजित बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में उत्पन्न हुई एक शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
- iv. अतः, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, विभिन्न प्रासंगिक अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचनाओं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। विधिवत एवं सभी दृष्टियों से पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन प्राप्त होने पर, नामांकन पत्रों की जांच निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी।



वैधानिक प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5	• पर्याप्त हित
	धारा 16(1)	• समान निदेशक पर प्रतिबंध।
	धारा 20	• किसी निदेशक को अथवा उसके पक्ष में किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध।
	धारा 51	• अधिनियम की कुछ धाराओं का संबंधित नए बैंक पर लागू होना।
बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई)	• मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध।
	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या।
	धारा 9(3ए)(ए) से (ग)	• विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान।
	धारा 9(3एए)	• कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर उसे उपयुक्त एवं समुचित स्थिति वाला व्यक्ति न माना गया हो।
	धारा 9(3एबी)	• भारतीय रिज़र्व बैंक, धारा 9(3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में, उपयुक्त एवं समुचित स्थिति के निर्धारण के लिए प्राधिकरण, निर्धारण की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित अन्य आवश्यक अथवा आनुषंगिक विषयों का भी विनिर्देशन कर सकता है।
	धारा 9(3बी)	• भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को पद से हटाने का अधिकार है, जो अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो।
	धारा 13(2)	• निष्ठा एवं गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970	खंड 9(4)	• निर्वाचित निदेशकों के पदावधि की अवधि।
	खंड 10	• बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यताएँ।
	खंड 11	• निदेशकों के पद का रिक्त होना।
	खंड 11ए	• निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना।
	खंड 11बी	• निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरना।
	खंड 12(8)	• उन व्यवस्थाओं के संबंध में, जिनमें निदेशकों का हित निहित हो, उनके द्वारा हितों का प्रकटीकरण।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998	विनियम 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग।
	विनियम 63	• सामान्य सभाओं में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक।
	विनियम 64	• शेयरधारकों की सूची।
	विनियम 65	• निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन।
	विनियम 66	• नामांकनों की जांच।
	विनियम 67	• निर्वाचन संबंधी विवाद।
	विनियम 68	• मतदान अधिकारों का निर्धारण।
	विनियम 69	• विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान।

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - शासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025	बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3AA) एवं धारा 9(3AB) के अनुसार	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं समुचित मानदंड।
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015	विनियम 16 एवं 25	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान।
कंपनी अधिनियम, 2013	धारा 2(77), 89, 90, 164 एवं 184	<ul style="list-style-type: none"> निदेशकों से संबंधित प्रावधान।

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, संबंधित अधिनियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, योजनाओं/विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के प्रासंगिक शेयर बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा अथवा डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐसे शेयर इच्छुक अभ्यर्थियों को कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय को investors@centralbank.bank.in पर संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर, नामांकन प्रक्रिया हेतु नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् **गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक**, ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

निर्वाचन में भागीदारी :

वे शेयरधारक, जिनके नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 26 जून, 2026** को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई शेयरधारकों/हितकारी स्वामियों की सूची में अंकित होंगे, वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के पात्र होंगे। यह उल्लेखनीय है कि कार्यसूची मद संख्या 8 अर्थात् निदेशक के निर्वाचन में केंद्र सरकार भाग लेने की पात्र नहीं होगी, तथापि वह वार्षिक आम बैठकमें प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रह सकेगी।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु आवश्यक योग्यताएँ:

उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में निर्धारित योग्यताओं का पालन करना होगा तथा योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यताओं से मुक्त होना चाहिए और विनियमों के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

ए. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक का वह शेयरधारक जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे—

- (ए) निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्—
- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग

(iii) सहकारिता

(iv) अर्थशास्त्र

(v) वित्त

(vi) विधि

(vii) लघु उद्योग

(viii) कोई अन्य विषय, जिसमें विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, बैंक के लिए उपयोगी हो। (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंक गवर्नेंस निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करते हुए निम्न क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है: (i) सूचना प्रौद्योगिकी, (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली, (iii) मानव संसाधन, (iv) जोखिम प्रबंधन तथा (v) व्यवसाय प्रबंधन, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंक में निदेशक की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।)

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) किसानों, श्रमिकों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

बी. अधिनियम की धारा 9(3ए) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार, बैंक का वह शेयरधारक जो बैंक के निदेशक के रूप में नामांकन प्रस्तुत करता है, उसके पास उसके कार्य निष्पादन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों के आधार पर “उपयुक्त एवं उचित” स्थिति होनी चाहिए।

सी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए की उपधारा (2) तथा बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधाराओं (3ए) एवं (3एबी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025 जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,



1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचित होने वाले निदेशकों के लिए “उपयुक्त एवं उचित” मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

- डी. इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशकों को संविदा-पत्र निष्पादित करना होगा, वे बैंक की आचार संहिता के अधीन होंगे तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यता:

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने तथा निदेशक बने रहने के लिए अयोग्य होगा—
- (ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो अथवा अपने लेनदारों के साथ समझौता किया हो; अथवा
- (बी) यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा
- (सी) यदि उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध माना गया हो जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो; अथवा
- (डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में लाभ का कोई पद धारण करता हो; तथापि इसमें पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक सम्मिलित नहीं होंगे।

तथा

- बी. यदि बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार उसे “उपयुक्त एवं उचित” व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

प्रतियोगी उम्मीदवारों हेतु शेयरधारकों की सूची

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 64 के अनुसार, **शुक्रवार, 26 जून, 2026** की स्थिति में बैंक के शेयरधारकों की सूची बैंक के शेयरधारकों के लिए सोमवार, 29 जून, 2026 से उपलब्ध होगी। इसके लिए “सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया” के पक्ष में, मुंबई में देय **₹50,000/- (केवल पचास हजार रुपये)** का डिमांड ड्राफ्ट तथा सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 को संबोधित अनुरोध पत्र अथवा investors@centralbank.bank.in पर ई-मेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही यह वचन देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग केवल चुनाव प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार शेयरधारकों

की सूची का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा उससे आवश्यक अंश प्राप्त कर सकते हैं।

शेयरधारक रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारक रजिस्टर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) निरीक्षण हेतु खुला रहेगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग की प्रति अथवा कंप्यूटर प्रिंट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रति 1000 शब्द अथवा उसके अंश के लिए ₹5/- की दर से अग्रिम भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव में भागीदारी

वे शेयरधारक जिनके नाम **शुक्रवार, 26 जून, 2026** को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्यों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने, अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के पात्र होंगे।

नामांकन:

नामांकन की वैधता

विनियम 65, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक पद के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध माना जाएगा, जब—

- (ए) वह शुक्रवार, 26 जून, 2026 को, जो चुनाव में भागीदारी हेतु निर्दिष्ट तिथि है, बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) अंशों का धारक हो।
- (बी) गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि) को वह अधिनियम, योजना अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य न हो।
- (सी) नामांकन लिखित रूप में हो तथा उस पर निदेशकों का निर्वाचन करने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। बशर्ते कि यदि कोई शेयरधारक कंपनी है, तो उसका नामांकन उस कंपनी के निदेशक मंडल के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- (डी) बैंक के शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किया गया नामांकन, इस सूचना में दिए गए नामांकन एवं घोषणा-पत्र के नमूना प्रपत्रों के अनुसार उम्मीदवार की घोषणा के साथ संलग्न हो, जिस पर उम्मीदवार ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-पंजीयक (आश्रवासन), अन्य राजपत्रित अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक

के अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षर किए हों। घोषणा में यह उल्लेख होना चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है, चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है। साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) संलग्न हों, जिन पर उसके हस्ताक्षर हों तथा यह पुष्टि की गई हो कि उक्त विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इसके अतिरिक्त, वह यह भी वचन दे कि घोषणा के बाद यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है जो प्रस्तुत जानकारी से संबंधित हो, तो वह यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/करेगी।

(ई) विनियमों/भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार निर्धारित नामांकन प्रपत्र एवं घोषणा-पत्र वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न हैं। उक्त प्रपत्र बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

नामांकन प्रपत्रों की प्रस्तुति

निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—

ए. विधिवत भरा हुआ घोषणा-पत्र;

बी. चुनाव में भाग लेने के पत्र बैंक के न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा समर्थित नामांकन;

सी. व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों सहित घोषणा एवं वचन-पत्र जैसे कि बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव प्रमाण-पत्र आदि, इस सूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूपों में, एक सीलबंद लिफाफे में, जिस पर “सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया – निदेशक निर्वाचन – जुलाई 2026” अंकित हो। यह दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021, टेलि: 022 6638 7818/7575 को भेजे जाएँ। सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन बैठक की तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व, अर्थात् गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक (बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पूर्व) प्राप्त हो जाने चाहिए।

नामांकनों की जांच एवं निदेशकों का निर्वाचन

ए) नामांकनों की जांच शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को, जो नामांकन प्राप्त की अंतिम तिथि के बाद का अगला कार्य दिवस है, की जाएगी यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बी) नामांकनों की जांच भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल द्वारा भी की जाएगी।

सी) बैंक, नामांकनों की जांच के समय अथवा निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल के परामर्शानुसार, उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

डी) यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले एक पद के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो उस उम्मीदवार को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25(2ए) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें केवल केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारक ही मतदान करने के पात्र होंगे। उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर ही उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। नव-निर्वाचित निदेशक शनिवार, 01 अगस्त, 2026 से पद ग्रहण करेगा तथा पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पद पर बना रहेगा।

ई) यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा निर्वाचन कराया जाएगा। निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा। उसके नाम की घोषणा वार्षिक आम बैठक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित उम्मीदवार शनिवार, 01 अगस्त, 2026 को बैंक के निदेशक का पद ग्रहण करेगा।

एफ) यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

नामांकन की वापसी

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को अपराह्न 4:00 बजे तक**, अर्थात् बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पूर्व, हस्ताक्षरित पत्र सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 को भेजकर अथवा हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति ई-मेल द्वारा investors@centralbank.bank.in पर भेजकर ऐसा कर सकता है।

निदेशकों के हित

बैंक के किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में कोई हित या सरोकार नहीं है, सिवाय बैंक में उनके अंशधारण की सीमा तक।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 23 जून, 2026
स्थान: मुंबई

(चंद्रकांत भागवत)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



घोषणा-पत्र

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियम 65 के संदर्भ में)

मैं, श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____ के
पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि—

ए. मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयरधारक हूँ तथा चुनाव में भागीदारी हेतु कट-ऑफ/निर्दिष्ट तिथि शुक्रवार, 26 जून, 2026 की स्थिति में मेरे पास ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के पूर्णतः चुकता _____ इक्विटी अंश हैं, जो फोलियो संख्या _____ / डीपी आईडी संख्या _____ / क्लाइंट आईडी संख्या _____ के अंतर्गत धारित हैं।

बी. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग अथवा किसी अन्य विषय, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/भुगतान एवं निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा। साथ ही, मैं बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं/किसानों/श्रमिकों/कारिगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ। इसके समर्थन में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ। (जो लागू हो उस पर टिक करें।)

सी. मैं क्रमांक _____ से _____ तक के नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ।

डी. मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक पद हेतु निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ।

ई. मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियम, 1998 (यथा संशोधित) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारक निदेशकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं/निर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।

एफ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भी अयोग्य नहीं हूँ।

जी. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3(1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में लाभ का कोई पद धारण नहीं करता/करती और न ही उनका कर्मचारी हूँ।

एच. मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि—

- मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है तथा मैंने अपने लेनदारों के साथ भुगतान स्थगित नहीं किया है और न ही कोई समझौता किया है;
- मुझे विकृतचित्त (अस्वस्थ मस्तिष्क वाला) नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तथा मुझे किसी ऐसे अपराध के लिए किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो;
- मुझे किसी आर्थिक अपराध अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है;
- निर्वाचित होने पर मैं बैंक के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक/पेशेवर संबंध को तत्काल समाप्त कर दूँगा/दूँगी तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके पश्चात तीन वर्ष की अवधि तक बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध स्थापित नहीं करूँगा/करूँगी;
- मैं किसी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी अथवा किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली एनओएफएचसी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं हूँ;

- vi. मैंने पूर्व में किसी बैंक/वित्तीय संस्था/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के निदेशक के रूप में लगातार अथवा अंतराल सहित कुल छः वर्ष तक कार्य नहीं किया है;
- vii. मैं शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकिंग) के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ;
- viii. मैं संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य, नगर निगम, नगरपालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय (जैसे अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का सदस्य नहीं हूँ;
- ix. मैं ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक की सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो;
- x. मैं ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक अथवा समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो;
- xi. मेरा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (जिसमें विधिक सेवाएँ, परामर्श सेवाएँ आदि सम्मिलित हैं) नहीं है और न ही मैं ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न हूँ जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता हो;
- xii. मेरा किसी बैंक अथवा किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली एनओएफएचसी के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं है तथा यदि मैं निर्वाचित होता/होती हूँ तो निदेशक पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसे संबंध को समाप्त कर दूँगा/दूँगी;
- xiii. किसी नियामक अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी अथवा विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मेरे विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी/सूचना नहीं है तथा मैं किसी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।

आई. मैं निदेशक पद ग्रहण करने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा-पत्र निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ।

जे. मैं बैंक के निदेशक पद पर रहते हुए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

के. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि इस घोषणा के पश्चात यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है जो यहाँ प्रदान की गई जानकारी से संबंधित हो, तो मैं यथाशीघ्र बैंक को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी तथा बैंक का निदेशक निर्वाचित होने पर संविदा-पत्र निष्पादित करूँगा/करूँगी।

एल. मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी दृष्टियों से सत्य एवं पूर्ण है।

नाम

हस्ताक्षर

शेयरों की संख्या

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं है)

डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि डीमैट है)

स्थान

दिनांक

मेरे समक्ष उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

मुहर सहित हस्ताक्षर : _____

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम : _____

घोषणा-पत्र पर उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप-पंजीयक (आश्वासन), अन्य राजपत्रित अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

★ जो लागू हो उस पर टिक करें।



नामांकन प्रपत्र

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियम 65(डी) के संदर्भ में)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400021

महोदय,

निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन

दिनांक 23 जून, 2026 की आपकी सूचना के संदर्भ में, मैं, श्री/श्रीमती _____, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 26 जून, 2026** (जो निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से कट-ऑफ/निर्दिष्ट तिथि है) की स्थिति में ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के पूर्णतः चुकता _____ इक्विटी अंशों का धारक हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____ के पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी _____ को बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु नामांकित करता/करती हूँ, जिसका निर्वाचन शेयरधारकों की **19वीं वार्षिक आम बैठक**, जो **शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026** को आयोजित की जाएगी, में किया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

धारित अंशों की संख्या

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं है)

डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि डीमैट है)

स्थान

दिनांक

टिप्पणियाँ :

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण अधिकर्ता के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- यदि उपर्युक्त किसी भी कॉलम को रिक्त छोड़ा जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है, तो नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन-पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यहाँ स्व-सत्यापित
पासपोर्ट आकार
की फोटो चिपकाएँ

अभ्यर्थी द्वारा दिनांक _____ की स्थिति के अनुसार घोषणा एवं वचन पत्र (आवश्यक संलग्नकों सहित)

I. अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	प्रथम नाम
	मध्य नाम
	उपनाम
2. पिता का नाम (पूर्ण रूप में)	
3. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	पुरुष/महिला/अन्य
4. वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)	
5. ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल पता: टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सहित): मोबाइल नंबर:	
6. नागरिकता	
7. जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) एवं आयु	
8. शैक्षणिक योग्यता	
9. निदेशक पहचान संख्या	
10. आधार संख्या	
11. ए) स्थायी खाता संख्या (पैन नं.)	रिटर्न दाखिल करने की तिथि
बी) आयकर विभाग के उस परिक्षेत्र/विभाग का नाम एवं पता जहाँ व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल किये जाते हैं।	भुगतान किया गया कर (₹ में)
सी) पिछले तीन वर्षों के दाखिल आयकर रिटर्न एवं कर भुगतान का विवरण	
12. स्थायी पता	
13. लेखांकन, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन अथवा अन्य किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसके विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव को भारतीय रिजर्व बैंक उपयोगी मानता हो, के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान अथवा अनुभव का संक्षिप्त विवरण।	
14. वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संस्था/संगठन का नाम तथा अनुभव का संक्षिप्त विवरण)	



15. पिछले कम से कम 10 वर्षों के व्यवसाय/रोजगार का विवरण, जिसमें संबंधित संगठन/संस्थाओं का पूर्ण पता/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि(कारण सहित), पदनाम आदि शामिल हों।

16. यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो निम्नलिखित विवरण दे-
ए) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या
बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि
सी) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम एवं पता
डी) फर्म/फर्मों अथवा स्वयं द्वारा वर्तमान में किए जा रहे लेखा परीक्षणों का विवरण

17. उन बैंकों का नाम, शाखा तथा खाता संख्या(बचत/चालू/ऋण खाते) जहाँ आप प्राथमिक खाताधारक हैं।

बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता सं.

18. आपके, आपके जीवनसाथी तथा आपके अवयस्क बच्चे द्वारा किसी संस्था में धारित शेयरधारिता का भौतिक अथवा (डी -मैट रूप में विवरण)

19. बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध

20. ऐसे रिश्तेदारों की सूची जो कंपनी अधिनियम, की धारा 2(77) तथा कंपनी (परिभाषा विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार किसी बैंक से संबद्ध हों।

21. उन संस्थाओं/इकाइयों की सूची जिनमें –

- ए) आपकी रूचि/हित हो। (कंपनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसार]
बी) आपका लाभकारी स्वामित्व हो। (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 तथा एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के अनुसार)
सी) आप न्यासी हों। (किसी ट्रस्ट के सन्दर्भ में अन्य सन्दर्भों का भी उल्लेख करें)

22. वर्तमान एवं प्रस्तावित उन संस्थाओं/इकाइयों की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 5(एनई)4 के अन्तर्गत आपका पर्याप्त हित हो।

कंपनी/फर्म का नाम

निगमित होने का देश

शेयरों की संख्या

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य

शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य

कुल चुकता पूँजी में शेयरधारिता का प्रतिशत

लाभकारी हित(मूल्य और प्रतिशत दोनों में)

क्या संस्था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत कंपनी है?

23. विदेश में निगमित तथा भारत में व्यवसाय स्थल रखने वाली संस्थाओं में धारित हिस्सेदारी का विवरण
24. उस बैंक/एनबीएफसी/अन्य कंपनी का नाम जिसमें आप वर्तमान अथवा पूर्व में निदेशक मंडल के सदस्य/सलाहकार आदि रहे हों। (ऐसे पद पर रहने की अवधि का विवरण भी दें।)
25. यदि आप किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हैं जो हायर परचेज, वित्तपोषण, निवेश पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न है, तो उससे संबद्धता की प्रकृति एवं उसका विवरण।
26. यदि आप शेयर दलाल हैं अथवा किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हैं जो शेयर दलाली गतिविधियों में संलग्न है, तो उसका विवरण।
27. आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा/उपर्युक्त क्रमांक (21) से (26) में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा वर्तमान में प्राप्त निधि आधारित और गैर-निधि आधारित बैंकिंग सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो।
28. ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें आप व्यक्तिगत रूप से अथवा उपर्युक्त (21) से (26) में उल्लिखित संस्थाओं को अतीत में किसी बैंक/एनबीएफसी/अन्य ऋणदाता संस्था से प्राप्त ऋण या साख सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता अथवा जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया हों।

III. व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड

29. निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ।

IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो

30. किसी व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या आरंभ की गई हो, अथवा अतीत में दोषसिद्धि हुई हो, या किसी भी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, तो उसका विवरण।

यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप लगाया गया हो, तो उसका विवरण।

31. आपके अथवा क्रमांक 21 से 26 तक सूचीबद्ध इकाइयों में आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के लिए यदि कोई अभियोग लंबित है या शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, तो उसका विवरण।
32. किसी आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई लंबित हो, आरंभ किया गया हो या दोषसिद्धि में परिणत हुआ हो।
33. यदि एएमएल/सीएफटी (AML/CFT – धन शोधन निवारण/आतंकवाद वित्तपोषण निरोध) दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन में संलिप्त रहे हों, तो उसका विवरण।
34. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत वर्णित किसी अयोग्यता से प्रभावित हों, तो उसका विवरण।



35. यदि दिवालिया घोषित किए गए हों, या भुगतान स्थगित किया हो, अथवा लेनदारों के साथ समझौता किया हो, तो उसका विवरण।

36. यदि सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।

37. (क) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक दुराचार अथवा अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।

(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में दोषसिद्ध घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।

38. यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पर कार्यरत हों, तो उसका विवरण।

39. यदि स्वयं या ऊपर बिंदु (21) से (26) में उल्लिखित कोई संस्था किसी पूर्व नियोक्ता, सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा किसी जांच/सतर्कता संबंधी मामले या पूछताछ के अधीन रही हो, तो उसका विवरण।

40. यदि सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर/ विदेशी मुद्रा अथवा अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/ विनियमों/ वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, तो उसका विवरण दें।

41. यदि किसी नियामक संस्था जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, किसी व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण फटकारा गया हो, निंदा की गई हो, प्रतिबंधित किया गया हो, निलंबित किया गया हो, निष्कासित किया गया हो, आदेश द्वारा रोका गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार का दंड लगाया गया हो, तो उसका विवरण दें।

(यद्यपि ऐसे आदेशों एवं निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें बाद में पूर्णतः निरस्त/ रद्द कर दिया गया हो, तथापि यदि निरस्तीकरण/ रद्दीकरण केवल तकनीकी आधारों जैसे परिसीमा अथवा अधिकार-क्षेत्र के अभाव के कारण हुआ हो तथा गुण-दोष के आधार पर न हुआ हो, तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश पर अस्थायी स्थगन प्राप्त हो तथा अपीलीय/ न्यायालयीन कार्यवाही लंबित हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)

V. आम जानकारी

42. यदि अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि जैसा कोई पेशेवर है तथा वर्तमान में या पूर्व में किसी बैंक में कोई व्यवसायिक कार्य कर रहा है/ कर चुका है, तो उस कार्य का विवरण, संबंधित बैंक का नाम तथा बैंक के साथ संबद्धता की अवधि का उल्लेख करें।

43. यदि अभ्यर्थी वर्तमान में सांसद / विधायक / विधान परिषद सदस्य है अथवा किसी नगर निगम, नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय निकाय में कोई राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका विवरण दें।

VI. प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के हित में, यदि 'उपयुक्त एवं समुचित (Fit and Proper)' आकलन हेतु कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण दें।

वचन-पत्र

मैं, पुत्र/ पुत्री, श्री
..... यह पुष्टि करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण है।

मैं यह वचन देता/ देती हूँ कि बैंक में शेयरधारक निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन के पश्चात् यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है जो ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित हो, तो मैं यथाशीघ्र बैंक को उसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊँगा/ कराऊँगी।

मैं यह भी वचन देता/ देती हूँ कि बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित संविदा-पत्र (Deed of Covenant) निष्पादित करूँगा/ करूँगी।

स्थान :

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक:

टिप्पणी :

1. जहाँ उपलब्ध स्थान पर्याप्त न हो, वहाँ जानकारी को परिशिष्ट के रूप में कालानुक्रमिक क्रम में संलग्न करें तथा उपयुक्त परस्पर संदर्भ दें।
2. परिशिष्टों सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल की टिप्पणियाँ

--

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/निदेशक मंडल के अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक:

स्थान:



NOTICE of 19th (Nineteen) Annual General Meeting (AGM) of Bank

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 19th (Nineteen) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Central Bank of India (Bank) will be held on Friday, 31st July, 2026 at 03.00 PM (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

Ordinary Business:-

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the Financial year ended 31st March 2026, together with the report of the Board of Directors and Auditors' thereon.

Item No.2

To confirm the payment of 04 (four) Interim Dividends aggregating to ₹1.20 (12%) per equity share having face value of ₹10 each of Bank for the financial year 2025-26 as declared and approved by Board of Directors of Bank.

Special Business:-

Item No.3

To approve the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non-Executive) of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I dated 24th July, 2025 read with Notification Ref eF.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 19th June, 2026 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 24th July, 2025 till 19th June, 2026 be and is hereby approved."

Item No.4

To approve the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I dated 15th September, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, beyond his existing notified term which ended on 30th November, 2025 till the date of his superannuation i.e. 31st July, 2027 or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.5

To approve the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I dated 30th September, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 30th September, 2025 i.e. date of his assumption of charge, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.6

To approve the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I dated 24th November, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 24th November, 2025 i.e. date of his assumption of charge for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.7

To approve the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non-Executive) of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 19th June, 2026 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 19th June, 2026 and until further orders, be and is hereby approved.”

Item No.8

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹7000 crore through various modes such as QIP/FPO/Rights issue.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following Resolution as **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares

of face value of ₹10 (Rupees Ten only) up to the value of ₹7000 crore (Rupees Seven Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), follow-on-Public Issue (FPO), Rights issue or in combination thereof, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 as amended, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such



approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

- A. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution.
- B. The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question,

difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank or a Committee of Board as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No.9

Election of ONE Shareholder Director.

To elect **ONE Director** from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the “Regulation Act”), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Central Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the “Regulations”), The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein after referred to as the “SEBI Listing Regulations”) and RBI Master Directions dated 28.11.2025 (Commercial Bank – Governance) Directions, 2025 and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“**RESOLVED THAT** Shri/ Smt. _____ elected as Director from amongst the Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Master Directions and other applicable guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office with effect from 01st August, 2026 and shall hold the office for a term of three years till 31st July, 2029.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 23rd June, 2026
Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)
Company Secretary &
Compliance officer

NOTES:

1. The Explanatory Statement pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 setting out the material facts in respect of the **Business Item Nos.3 to 9** to be transacted at the meeting is annexed hereto.
2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):**

Pursuant to Circular No.3/2025 dated 22nd September, 2025 read with other relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) for holding the AGM through VC / OAVM, the Bank is convening the 19th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of determining the quorum. **The Central Office of Bank situated at Mumbai shall be deemed to be the venue of the AGM.**

3. **APPOINTMENT OF PROXY:**

Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

4. **Appointment of an Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.bank.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before **5.00 PM, Friday, 24th July, 2026.**

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.
6. The Notice of the 19th Annual General Meeting and Integrated Annual Report 2025-26 is being sent only by electronic mode to those Members, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Members may note that the Notice of 19th Annual General Meeting and Integrated Annual Report 2025-26 will also be available on the Bank's website <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations>; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.



The Bank will also be sending a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available to those shareholder(s) of Bank who have not registered their email addresses with Bank/Depositories.

7. Interim Dividends for FY 2025-26 paid by Bank:

The Board of Directors of Bank has declared Interim Dividends on the equity shares having face value of ₹10/- each of Bank in every quarter for the Financial Year 2025-26 and same was paid to Shareholders of Bank as per their holdings as on the record dates decided by Bank. The details of Interim Dividends declared and paid by Bank for the Financial Year 2025-26 are given as under:

Sr. No.	Type of Dividend	Date of Declaration of dividend by Board of Bank	Dividend %	Dividend Amount (in ₹) per equity shares
1	1 st Interim Dividend	19.07.2025	2%	0.20
2	2 nd Interim Dividend	17.10.2025	2%	0.20
3	3 rd Interim Dividend	16.01.2026	2%	0.20
4	4 th Interim Dividend	30.04.2026	6%	0.60
Total			12%	1.20

Pursuant to Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the payment of dividend was made only in electronic mode to the Shareholders having updated KYC and Bank account details with Depositories /RTA and payment through dividend warrants or cheques has been discontinued. The Bank has deducted tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of Interim Dividends to the shareholders of Bank.

8. The Bank has designated an exclusive e-mail id viz. investors@centralbank.bank.in to enable Shareholders to register their grievances, if any. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before **Wednesday, 22nd July, 2026** through email on investors@centralbank.bank.in. The same will be replied by the Bank suitably.

9. Registration of email ID and Bank Account details:

Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Integrated Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend: In case the Shareholder's email ID is already registered with the Bank/ its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/ Depositories, log in details for e-voting will be sent on the registered email address.

In case, the Shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

- Kindly log in to the website of our RTA, MUFG Intime India Private Ltd., https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html under Investor Services > Email/ Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit. OR
- For Shareholders holding shares in demat form:** The Shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email ID and Bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.
- For Shareholders holding shares in physical form:** Shareholders holding shares in physical form, (whose

email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents to MUFG Intime India Pvt. Ltd , C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or soft copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents through mail at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

In consonance with the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's RTA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in demat form.

10. Updation of PAN, KYC, Bank details and Nomination by Shareholders of Bank:

SEBI vide its Master Circular No. HO/38/13/ (4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 dated 06th February, 2026 has issued inter alia, guidelines on 'Common and Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Members holding shares in physical form are requested to furnish following forms to update their KYC and choice of Nomination (in case the same are not updated) with the RTA of Bank.

S. No.	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular is available on the website of Bank at <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations>

Contact details of RTA and Investor Relations Division of Bank are as under:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

MUFG Intime India Pvt. Ltd.

(Formerly Known as Link Intime India Pvt. Ltd.)

C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),

Mumbai - 400 083

Tel: 022-4918 6270

Email Id: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary and Compliance Officer

Central Bank of India,

9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Tel: 022- 6638 7575/7818

Email id: investors@centralbank.bank.in

11. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. There are various benefits associated with converting your shareholding in Demat form such as:

- Safe and convenient mode of holding securities of multiple companies.
- No risks associated with physical share certificates- such as loss of certificates, mutilation of certificates, bad delivery, fake/ forged certificates or endorsements, etc.,
- Easy and instant transfer of securities.
- No stamp duty on transfer of securities in demat mode.
- Direct credit of benefits and corporate actions such as rights shares, bonus shares, stock split, etc. in the demat account of the shareholder.

12. Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares:

As per SEBI Circular dated 30th January, 2026, Shareholders of Bank are advised to submit their share transfer requests duly completed in all respects to RTA of Bank on or before 04th February, 2027 during the special window which is opened from 05th February, 2026 to 04th February, 2027 to facilitate the re-lodgement of transfer requests of physical shares which were lodged prior to 01st April 2019 but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/ process.

13. Online Dispute Resolution Mechanism (SMART ODR):

SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Pursuant to above-

mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal at <https://smartodr.in/login>

14. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. In view of above, Bank has transferred all unpaid or unclaimed dividends declared by Bank upto financial year 2014-15 to said Fund. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on IEPF website at www.iepf.gov.in.

Further, as per amendment to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, all the equity shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more shall also be transferred to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. The details of unclaimed dividends of the shareholders till FY 2014-15 have been hosted on the Bank's website at <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations>. These shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority. Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the shares so transferred to IEPF.

15. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. As per Regulation 10 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

16. Cut Off / Record date for voting:

1. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 24th July, 2026**, shall be eligible for voting on **agenda item nos.1 to 8**.



- Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 26th June, 2026**, shall be eligible for voting on **agenda item no. 9**.

17. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with **MUFG Intime India Pvt. Limited**, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on “e-voting facility provided by Listed Companies”, e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider (“ESP”) thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period shall begin on Monday, 27th July, 2026 at 10.00 AM and ends on Thursday, 30th July, 2026 at 05.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given as below:

In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL

METHOD 1 - NSDL OTP based login

- Visit URL: <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp>
- Enter your 8 - character DP ID, 8 - digit Client Id, PAN, Verification code and generate OTP.
- Enter the OTP received on your registered email ID/ mobile number and click on login.

- Post successful authentication, you will be re-directed to NSDL depository website wherein you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services.
- Click on “MUFG InTime” or “evoting link displayed alongside Company’s Name” and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

METHOD 2 - NSDL IDeAS facility

Shareholders registered for IDeAS facility:

- Visit URL: <https://eservices.nsdl.com> and click on “Beneficial Owner” icon under “IDeAS Login Section”.
- Enter IDeAS User ID, Password, Verification code & click on “Log-in”.
- Post successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services section. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services.
- Click on “MUFG InTime” or “evoting link displayed alongside Company’s Name” and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Shareholders not registered for IDeAS facility:

- To register, visit URL: <https://eservices.nsdl.com> and select “Register Online for IDeAS Portal” or click on <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp>
- Enter 8-character DP ID, 8-digit Client ID, Mobile no, Verification code & click on “Submit”.
- Enter the last 4 digits of your bank account / generate ‘OTP’
- Post successful registration, user will be provided with Login ID and password.
- Follow steps given above in points (a-d).

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speed” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience



METHOD 3 - NSDL e-voting website

- Visit URL: <https://www.evoting.nsdl.com>
- Click on the “Login” tab available under ‘Shareholder/ Member’ section.
- Enter User ID (i.e., your 16-digit demat account no. held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen & click on “Login”.
- Post successful authentication, you will be re-directed to NSDL depository website wherein you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services.
- Click on “MUFG InTime” or “evoting link displayed alongside Company’s Name” and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

METHOD 1 - CDSL e-voting page

- a) Visit URL: <https://www.cdslindia.com>.
- b) Go to e-voting tab.
- c) Enter 16-digit Demat Account Number (BO ID) and PAN No. and click on "Submit".
- d) System will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile and Email as recorded in Demat Account
- e) Post successful authentication, user will be able to see e-voting option. The evoting option will have links of e-voting service providers i.e., MUFG InTime. Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

METHOD 2 - CDSL Easi/ Easiest facility:

Shareholders registered for Easi/ Easiest facility:

- a) Visit URL: <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login> or Visit URL: www.cdslindia.com, click on "Login" and select "My Easi New (Token)".
- b) Enter existing username, Password & click on "Login".
- c) Post successful authentication, user will be able to see e-voting option. The evoting option will have links of e-voting service providers i.e., MUFG InTime. Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Shareholders not registered for Easi/ Easiest facility:

- a) To register, visit URL: <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration> / <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration>.
- b) Proceed with updating the required fields for registration.
- c) Post successful registration, user will be provided username and password on the registered email id. Follow steps given above in points (a-c).

Individual Shareholders holding securities in demat mode with Depository Participant

Individual shareholders can also login using the login credentials of your demat account through your depository participant registered with NSDL / CDSL for e-voting facility.

- a) Login to DP website
- b) After Successful login, user shall navigate through "e-voting" option.
- c) Click on e-voting option, user will be redirected to NSDL / CDSL Depository website after successful authentication, wherein user can see e-voting feature.
- d) Post successful authentication, click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Login method for shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode.

Shareholders holding shares in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode as on the cut-off date for e-voting may register and vote on InstaVote as under:

STEP 1: LOGIN / SIGNUP on InstaVote

Shareholders registered for INSTAVOTE facility:

- a) Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> & click on "Login" under 'SHARE HOLDER' tab.
- b) Enter details as under:

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. User ID: Enter User ID
2. Password: Enter existing Password
3. Enter Image Verification (CAPTCHA) Code
4. Click "Submit".

(Home page of e-voting will open. Follow the process given under "Steps to cast vote for Resolutions")

Shareholders not registered for INSTAVOTE facility:

- a) Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> & click on "Sign Up" under 'SHARE HOLDER' tab & register with details as under:

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. User ID: Enter User ID
2. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable.
3. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP/Company - in DD/MM/YYYY format)
4. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company.
 - Shareholders, holding shares in **NSDL form**, shall provide 'point 4' above.
 - Shareholders, holding shares in **CDSL form**, shall provide 'point 3' or 'point 4' above.
 - Shareholders, holding shares in **physical form** but have not recorded 'point 3' and 'point 4', shall provide their Folio number in 'point 4' above



5. Set the password of your choice.
(The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter).
6. Enter Image Verification (CAPTCHA) Code.
7. Click "Submit" (You have now registered on InstaVote).
Post successful registration, click on "Login" under 'SHARE HOLDER' tab & follow steps given above in points (a-b).

STEP 2: Steps to cast vote for Resolutions through InstaVote

- A. Post successful authentication and redirection to InstaVote inbox page, you will be able to see the "Notification for e-voting".
- B. Select 'View' icon. E-voting page will appear.
- C. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link).
- D. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'.
- E. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

NOTE: Shareholders may click on "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" option and view proxy advisor recommendations for each resolution before casting vote. "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" option provides access to expert insights during the e-Voting process. Shareholders may modify their vote before final submission.

Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently.

Non-Individual Body corporate shareholders shall send a scanned copy of the board resolution authorising its representative to vote, to the scrutinizer at registered email address with a copy marked to RTA at enotices@in.mpms.mufg.com and the company at registered email address.

Guidelines for Institutional shareholders ("Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund")

STEP 1 – Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund Registration

- A. Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in>
- B. Click on "Sign Up" under "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund"
- C. Fill up your entity details and submit the form.
- D. A declaration form and organization ID is generated and sent to the Primary contact person email ID (which is filled at the time of sign up). The said form is to be signed by the Authorised Signatory, Director, Company Secretary of the entity & stamped and sent to insta.vote@linkintime.co.in.

- E. Thereafter, Login credentials (User ID; Organisation ID; Password) is sent to Primary contact person's email ID. (You have now registered on InstaVote)

STEP 2 – Investor Mapping

- A. Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> and login with InstaVote Login credentials.
- B. Click on "Investor Mapping" tab under the Menu section
- C. Map the Investor with the following details:
 - 1) 'Investor ID' – Investor ID for NSDL demat account is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID i.e., IN00000012345678; Investor ID for CDSL demat account is 16 Digit Beneficiary ID.
 - 2) 'Investor's Name - Enter Investor's Name as updated with DP.
 - 3) 'Investor PAN' - Enter your 10-digit PAN.
 - 4) 'Power of Attorney' - Attach Board resolution or Power of Attorney.

NOTE: File Name for the Board resolution/ Power of Attorney shall be – DP ID and Client ID or 16 Digit Beneficiary ID.

Further, Custodians and Mutual Funds shall also upload specimen signatures.

- D. Click on Submit button. (The investor is now mapped with the Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund Entity). The same can be viewed under the "Report section".

STEP 3 – Steps to cast vote for Resolutions through InstaVote

The corporate shareholder can vote by two methods, during the remote e-voting period.

METHOD 1 - VOTES ENTRY

- a) Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> and login with InstaVote Login credentials.
- b) Click on "Votes Entry" tab under the Menu section.
- c) Enter the "Event No." for which you want to cast vote.
Event No. can be viewed on the home page of InstaVote under "On-going Events".
- d) Enter "16-digit Demat Account No.".
- e) Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'.
- f) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

(Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently).

METHOD 2 - VOTES UPLOAD

- Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> and login with InstaVote Login credentials.
- After successful login, you will see “Notification for e-voting”.
- Select “View” icon for “Company’s Name / Event number”.
- E-voting page will appear.
- Download sample vote file from “Download Sample Vote File” tab.
- Cast your vote by selecting your desired option ‘Favour / Against’ in the sample vote file and upload the same under “Upload Vote File” option.
- Click on ‘Submit’. ‘Data uploaded successfully’ message will be displayed.

(Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently).

NOTE: **Non-Individual Body corporate shareholders** shall send a scanned copy of the board resolution authorising its representative to vote, to the scrutinizer at registered email address with a copy marked to RTA at enotices@in.mpms.mufg.com and the company at registered email address.

HELPDESK:

Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode facing any technical issue in login may contact INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000.

Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in demat mode may contact the respective helpdesk for any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending request at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Forgot Password:

Individual Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode have forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both then the shareholder can use the “Forgot Password” option available on: <https://instavote.linkintime.co.in>

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

- Click on “Login” under ‘SHARE HOLDER’ tab.
- Further Click on “forgot password?”
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA).
- Click on “SUBMIT”.

In case Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund has forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both then the shareholder can use the “Forgot Password” option available on: <https://instavote.linkintime.co.in>

- Click on ‘Login’ under “Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund” tab
- Further Click on “forgot password?”
- Enter User ID, Organization ID and Enter Image Verification code (CAPTCHA).
- Click on “SUBMIT”.

In case shareholders have a valid email address, Password will be sent to his / her registered e-mail address. Shareholders can set the password of his/her choice by providing information about the particulars of the Security Question and Answer, PAN, DOB/DOI etc. The password should contain a minimum of 8 characters, at least one special character (!#\$%&), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter.*

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL has forgotten the password:

Individual Shareholders holding securities in demat mode have forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both, then the Shareholders are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned depository/ depository participants website.



General Instructions - Shareholders

- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders/ members holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.
- During the voting period, shareholders/ members can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
 - Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 24th July, 2026, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
 - A copy of this notice is being made available on the website of the Bank and also on the website of MUFG Intime India Pvt. Limited.

18. Scrutinizers at remote e-voting / voting at the Meeting:

- **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO**, Company Secretaries, Thane has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting process at AGM in a fair and transparent manner.

19. Results of remote evoting and voting at the Meeting:

- The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> and on the website of MUFG Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

20. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

21. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> as soon as possible.

22. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

In terms of Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 03/2025 dated 22.09.2025, the companies can continue to conduct AGMs by VC or OAVM, as per the

existing procedural requirements. Till further orders, the relaxations will remain in force.

Shareholders are advised to update their mobile number and email Id correctly in their demat accounts to access InstaMeet facility.

Login method for shareholders to attend the General Meeting through InstaMeet:

- a) Visit URL: <https://instameet.in.mpms.mufg.com> & click on "Login".
- b) Select the "Company Name" and register with your following details:
 - c) Select Check Box - **Demat Account No. / Folio No. / PAN**
 - Shareholders holding shares in NSDL/ CDSL demat account shall select check box - Demat Account No. and enter the 16-digit demat account number.
 - Shareholders holding shares in physical form shall select check box – Folio No. and enter the Folio Number registered with the company.
 - Shareholders shall select check box – PAN and enter 10-digit Permanent Account Number (PAN). Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided by MUFG Intime, if applicable.
 - Mobile No: Mobile No. as updated with DP is displayed automatically. Shareholders who have not updated their Mobile No with the DP shall enter the mobile no.
 - Email ID: Email Id as updated with DP is displayed automatically. Shareholders who have not updated their Email Id with the DP shall enter the Email Id.
- d) Click "Go to Meeting"

You are now registered for InstaMeet, and your attendance is marked for the meeting.

Instructions for Shareholders to Vote during the General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated during the meeting, shareholders who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

- a) On the Shareholders VC page, click on link "Cast your vote".
- b) Enter your 16-digit Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet.
- c) Click on 'Submit'.
- d) After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
- e) Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/ Against" as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/ Against'.
- f) After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm

your vote, click on “Confirm”, else to change your vote, click on “Back” and accordingly modify your vote. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the General Meeting through InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the General Meeting will be eligible to attend/ participate in the General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/ Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Helpdesk:

Shareholders facing any technical issue in login may contact INSTAMEET helpdesk by sending a request at instameet@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000 / 4918 6175.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers for Annual General Meeting:

Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may send their questions and register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: investors@centralbank.bank.in from 24th July, 2026 at 10.00 am to 27th July, 2026 at 5.00 pm.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

**Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce their name and serial number for speaking.*

Shareholders/ Members should use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.



EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 3

To approve the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Bank.

In exercise of powers under clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I dated 24th July, 2025 has appointed Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Central Bank of India with effect from 24.07.2025 and until further orders. Further, the Central Government vide its Notification dated 19th June, 2026 has nominated Shri Chandradeep Kumar Jha in place of Shri Baldeo Purushartha. Thus, Shri Baldeo Purushartha has ceased to be a Director of Bank with effect from 19th June, 2026.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri Baldeo Purushartha** as the Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank from 24th July, 2025 till 19th June, 2026.

Brief profile of **Shri Baldeo Purushartha** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	Shri Baldeo Purushartha
DIN	07570116
Age	52 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	24 th July, 2025 till 19 th June, 2026
Education Qualifications	M.A. (History)
Brief resume including expertise in specific functional areas	<p>Shri Baldeo Purushartha was appointed as Government Nominee Director of Bank w.e.f 24th July, 2025 till 19th June, 2026. He joined the Indian Administrative Service (IAS) in 2002. Before joining as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, he served as Secretary, Lokpal and Divisional Commissioner, Jalandhar, Punjab.</p> <p>He has also served in various field and secretariat positions in the Government of Punjab and Government of India. Among the posts, he held the post of Private Secretary to Union Minister of State (Independent Charge) in the Ministry of Housing and Urban Affairs; Director, Industries and Commerce Department, Punjab; Director, Technical Education and Industrial Training, Punjab, Commissioner, NRI, Punjab and Special Secretary, Expenditure, Punjab.</p> <p>He also represented Government of India as Director in the Executive Board of International Fund for Agricultural Development and as Alternate Director in the Board of New Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank, as Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Ltd., (IIFCL), Indian Railway Station Development Corporation Ltd., (IRSDCL), Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFCL), National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited (NIIFTL), National Land Monetization Corporation Limited (NLMCL), ONGC Videsh Ltd., Chandigarh Smart City Ltd., and AI Assets Holding Ltd.</p>
Directorships held in other companies	Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) Limited - Nominee Director
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)- Listed Company Nomination and Remuneration Committee - Chairman Audit Committee - Member
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 4

To approve the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification No. eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I dated 15th September, 2025 has extended term of appointment of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank w.e.f 15.09.2025 beyond his existing notified term which ended on 30th November, 2025 till the date of his superannuation i.e. 31st July, 2027 or until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri M V Murali Krishna** as an Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri M V Murali Krishna** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Name	Shri M V Murali Krishna
DIN	09021111
Age	59 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	01 st December, 2022
Education Qualifications	MBA (Banking & Finance)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri M V Murali Krishna assumed charge as an Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 1 st December, 2022. Before his elevation to this current position, he served as Chief General Manager at Bank of Baroda. His last posting in Bank of Baroda was Head of Corporate & Institutional Credit -Large Corporate.
	An MBA in Banking and Finance, he began his career with Bank of Baroda as Probationary Officer and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking, including Corporate Credit, International Operations, Rural and Agriculture Banking, Financial Inclusion, NRI business etc.
	During his long stint in the Banking Industry, he worked from branches to regional offices and from overseas territory to corporate office. He successfully handled the responsibilities such as Head of Large Corporate, Head of international Operations, Head of Rural & Agriculture Department and Head of Financial Inclusion Department.
	He also served as a Director on the Board of BOB Capital Finance Ltd, Baroda Gujarat Gramin Bank and AFC Ltd (Agriculture Finance Corporation).
Directorships held in other companies	1. Cent Bank Financial Services Ltd. Unlisted Company (Chairman) 2. Cent Bank Home Finance Ltd. Unlisted Company (Chairman) 3. Generali Central Insurance Co. Ltd. Unlisted Company (Nominee Director)
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil



For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director in his earlier term, please refer to the Corporate Governance Report in the Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 5

To approve the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I dated 30th September, 2025 has appointed Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of Central Bank of India with effect from 30.09.2025, for a period of three years or until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri Kalyan Kumar** as Managing Director and Chief Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri Kalyan Kumar** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	Shri Kalyan Kumar
DIN	09631251
Age	57 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	30 th September, 2025
Education Qualifications	M.Sc. (Agriculture)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri Kalyan Kumar assumed charge as MD & CEO of Central Bank of India w.e.f. 30th September, 2025. Prior to joining Central Bank of India, Shri Kumar served as an Executive Director of Punjab National Bank.

He is a Post Graduate in science from Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa. He is also a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds various certifications in Trade Finance, SME Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF).

He started his journey in Union Bank of India as Rural Development Officer in 1995 and has served the Bank for more than 26 years in various capacities. He worked as the Branch Head in various categories of branches which also include VLBs (Very Large Branches). He was also the Principal of the Staff Training College. In the Corporate Office, he aided in the Bank's Business Process Transformation, Credit Review & Monitoring and Vigilance. The successful amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India was steered under his supervision and control.

He also served as Chairman on the Board of its two subsidiaries of PNB i.e. PNB Gilts Ltd. and PNB Cards & Services Ltd., Nominee member of Board of Governors of Management Development Institute (MDI) Society, SCB Nominee Director on the Board of IIFCL and as Chairman on the Board of NIBSCOM.

At present, he is serving as Member of Management Committee of Indian Bank Associations (IBA), Member of CII National Committee on Banking, Governing Board Member of Indian Institute of Bank Management (IIBM) and External Member of College Advisory Committee of College of Agriculture Banking, RBI.

Shri Kumar has undergone the FSIB Training Program for Top Leadership Development and Director Development Programme, conducted by Egon Zehnder in collaboration with Harvard University.

Directorships held in other companies	Nil
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 6

To approve the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I dated 24th November, 2025 has appointed Shri. E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of Central Bank of India with effect from 24.11.2025, for a period of three years or until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri E. Ratan Kumar** as an Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri E. Ratan Kumar** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	Shri E. Ratan Kumar
DIN	10686007
Age	57 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	24 th November, 2025
Education Qualifications	M. Tech (Computer Science)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri E. Ratan Kumar assumed charge as an Executive Director of Bank w.e.f 24 th November, 2025. Prior to this, he served as Chief General Manager of Central Bank of India.

He is a B. E. (Computer Science) from Allahabad University and M. Tech, from Hyderabad University and holds Master of Financial Management from NMIMS – Mumbai University.

Shri E. Ratan Kumar started his banking journey in Central Bank of India in Executive cadre in the year 1997 and has diversified banking experience of around 35 years spread across Banking and IT areas. He headed erstwhile Hyderabad Region and Bhubaneswar Region as Senior Regional Manager and Hyderabad Zone as the Zonal Manager. He have a varied Experience both in Operational Banking and Technology with a strong insights of Process Re-engineering, he brings a rich and impactful knowledge to the Organisation. As Chief General Manager–Technology, he initiated various Digital initiatives and spearheading the most important Project “Digital Strategy and Transformation” in the Bank.



Directorships held in other companies	1. Cent Bank Financial Services Ltd. - Unlisted Company (Nominee Director)
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 7

To approve the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Bank.

In exercise of powers under clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref e.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 19th June, 2026 has appointed Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Central Bank of India with effect from 19.06.2026 and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri Chandradeep Kumar Jha** as the Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri Chandradeep Kumar Jha** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	Shri Chandradeep Kumar Jha
DIN	11417133
Age	50 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	19 th June, 2026
Education Qualifications	Masters in Statistics
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri Chandradeep Kumar Jha (ISS:2000) was appointed as Government Nominee Director of Bank w.e.f 19 th June, 2026. He brings over two decades of distinguished service in various key positions within the Government of India. He holds a Master's Degree in Statistics from the University of Delhi. Presently, he is serving as the Statistical Advisor in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. He has a rich and diverse experience of working in the organisations under Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Ministry of Commerce & Industry (MoCI) and Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India.

Throughout his career, he has made significant contributions in the areas of data analysis, coordination, planning, supervision, policy formulation, development of infrastructure projects and monitoring. His expertise covers a wide range of areas including international cooperation in statistical matters, national statistical system reforms, ease of doing business, industrial development and the implementation of key government initiatives.

	He is also a Government Nominee Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), a Part-time Member of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and a member of Board of Governors of Management Development Institute (MDI), Gurgaon.
Directorships held in other companies	Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) - Listed Company - Nominee Director
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) - Listed Company Audit Committee – Member Stakeholder Relationship Committee – Member Nomination and Remuneration Committee - Member
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No.8

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹7000/- crore through various modes like QIP/FPO/Rights Issue.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50%. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR). The CRAR of the Bank during the FY 2025-26 is 17.91% (Tier I – 15.61% (includes CCB), Tier II – 2.30%)

Keeping in view of increase in Business projection of 14%-15%, to maintain health CRAR in F.Y. 2026-27 and to increase public shareholding in Bank, Bank has decided to raise the equity capital aggregate upto ₹7000/- Crore through various modes like QIP/FPO/Rights issue. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.

The said equity capital will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI.

The Board of Directors at their meeting held on 30th April, 2026 had given their approval to raise capital upto ₹7000/- crore through the different available options.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2026 is 17.91%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, ₹10000/- crore. The Paid-up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2026 is ₹ 9051.40 Crore.

The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factory.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:



- ✓ The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ✓ As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required;
- ✓ The issue and allotment of fully paid equity shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 365 days of the date of passing the above Resolution;
- ✓ The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- ✓ The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- ✓ The eligible securities allotted under the qualified institutions placement shall not be sold by the allottee for a period of one year from the date of allotment except on recognized Stock exchange.
- ✓ The Bank, its Promoter or Directors is not a fugitive economic offender.
- ✓ The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No.9

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- i. As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have 02 (two) Directors duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- ii. As per the above guidelines and in view of public shareholding of Bank being increased from 10.73% to 18.81% after the conclusion of Offer for Sale (OFS) issue announced by promoter of Bank in May 2026, the Bank is entitled to have 02 Directors, elected from amongst Shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having one Shareholder Director Shri Sarada Kumar Hota on the Board and is required to appoint another Shareholder Director on its Board.
- iii. The Board at its meeting held on 03rd June, 2026 has approved to conduct the election to fill-in this vacancy arisen of One Shareholder Director on the Board of the Bank.
- iv. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respects, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5	• Substantial Interest.
	Section 16 (1)	• Prohibition of Common Director
	Section 20	• Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its director
	Section 51	• Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights.
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholder
	Section 9 (3A) (A) to (C)	• Special Knowledge in certain fields.
	Section 9 (3AA)	• No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9 (3AB)	• RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy.
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4)	• Term of office of elected directors
	Clause 10	• Disqualifications from being elected as a Director of the bank
	Clause 11	• Vacation of office of Directors
	Clause 11A	• Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	• Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	• Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10	• Exercise of rights of joint holders
	Regulation 63	• Directors to be elected at general meetings
	Regulation 64	• List of Shareholders
	Regulation 65	• Nomination of candidates for election
	Regulation 66	• Scrutiny of nominations
	Regulation 67	• Election disputes
	Regulation 68	• Determination of voting rights
	Regulation 69	• Voting by duly authorized representative
RBI (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	• Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	Regulation 16 and 25	Provisions relating to Independent Director
The Companies Act, 2013	Section 2(77), 89, 90, 164, 184	Provisions relating to Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Directions will be made available on the Bank's website i.e. <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Central Bank of India at its Central Office at investors@centralbank.bank.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms for election process viz., **Thursday, 16th July, 2026 by 05.00 pm.**



PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut off Date i.e., on **Friday, 26th June, 2026** shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government. It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the agenda no.8 i.e. Election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, as detailed herein:

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
- agricultural and rural economy,
 - banking,
 - co-operation,
 - economics,
 - finance,
 - law,
 - small scale industry,
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank; (RBI vide its Master Directions on Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)
- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Master Directions, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.
- (c) Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred to it under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and sub-sections (2) of Section 19A of the State Bank of India

Act, 1955 and sub-sections (3AA) & (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 which inter-alia lays down "Fit and Proper" Criteria for the persons being elected as Directors on the Board of the PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

- (d) Further, the elected Directors will have to execute a deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director -
- if he/she has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he/she has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - if he/ she has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - If he/she holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- and
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025, by the Nomination and Remuneration Committee/Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

In terms of Regulation 64 of Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2008, a list of Shareholders of the Bank as on Friday, 26th June, 2026 will be available for shareholders of Bank from Monday, 29th June, 2026 onwards on prepayment of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request letter addressed to the Assistant General Manager - Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 or at investors@centralbank.bank.in with an undertaking that the list will be used only for canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than second & fourth Saturday and Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on Friday, 26th June, 2026 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations, RBI Master Directions and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday, 26th June, 2026 being the Specified Date for participating in the election;
- (b) as on Thursday, 16th July, 2026 (the last date for receipt of nominations), he/she is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Master Directions;
- (c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of the Bank addressed to Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;
- (d) the nomination by the shareholders of Bank (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Master Directions alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- (e) The Nomination Forms and Declaration Form as prescribed in the Regulations/ RBI Master Directions is annexed to the AGM Notice. The said forms will also be made available on website of Bank at <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations>

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

- a) duly filled in Declaration Form;
- b) nominations from minimum of 100 shareholders of Bank entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of Educational qualification, work experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing **thereon “Central Bank of India Election of Director – July 2026”** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Assistant General Manager –Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, Tel No. 022 6638 7818/ 7575 together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Thursday, 16th July, 2026.**

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- a) Nominations shall be scrutinized on **Friday, 17th July, 2026**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors as the case may be, in terms of RBI and other applicable guidelines.
- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature
- c) If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3) (i) of the Banking Companies Act at the AGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. The newly elected director will assume office from Saturday, 01st August, 2026 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.
- d) If the valid nominations are more than ONE, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of



votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman of the AGM and also published in newspapers. The candidate so elected will assume office as Director of Bank on Saturday, 01st August, 2026.

- e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his /her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of

the Bank on or before **4.00 pm, Friday, 24th July, 2026** by sending a signed letter addressed to the Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 or soft copy of signed letter over e-mail at investors@centralbank.bank.in.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 23rd June, 2026
Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)
Company Secretary & Compliance Officer

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____
_____, residing at _____
_____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) of **CENTRAL BANK OF INDIA** under Folio No. _____/DP ID No. _____/Client ID No. _____ as on **Friday, 26th June, 2026 being the Cut-off/Specified Date** for participating in the Elections and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or any other matter the special knowledge of Information Technology /Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc., and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, (tick whichever is applicable) and
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
- d. I am willing to contest the election for Director of **Central Bank of India**, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Regulations Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, and the relevant notifications/directions issued by RBI with regard to Shareholder Directors of Public Sector Banks;
- f. I am not disqualified under the Companies Act, 2013.
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
- h. I further declare that:**
- i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors;
- ii. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude;
- iii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court;
- iv. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of three years thereafter; and
- v. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- vi. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- vii. I am not engaging in the business of stock broking.
- viii. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- ix. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.



- x. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Central Bank of India.
- xi. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Central Bank of India nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Central Bank of India.
- xii. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- xiii. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- i. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI) before assuming office as a director;
- j. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank;
- k. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- l. I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects.

Name

Signature

No. of Shares

**Regd. Folio No.
(If not Dematerialised)**

**DP ID No. and Client ID No.
(If Dematerialised)**

Place

Date

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To,
The Managing Director and Chief Executive Officer
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 23rd June, 2026, I, Shri/Smt _____ a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) as on **Friday, 26th June, 2026** being the Cut-off/Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby **nominate** Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____

_____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the 19th Annual General Meeting of the shareholders to be held on **Friday, 31st July, 2026**.

Signature

Name

No. of Shares held

Regd. Folio No.
(If not Dematerialised)

DP ID No. and Client ID No.
(If Dematerialised)

Place

Date

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING CENTRAL BANK OF INDIA

Affix Self
Attested Passport
Size Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2026

I. Personal details of the candidate

1.	Name in Full (in block capital letters)	First Name						
		Middle Name						
		Last Name						
2.	Father's Name (in Full)							
3.	Gender (M/F/others)	Male/Female/Others						
4.	Present Address (For correspondence)							
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:							
6.	Nationality							
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age							
8.	Education qualification							
9.	Director Identification Number (DIN)							
10.	Aadhaar Number							
11.	a) Permanent Account Number (PAN). b) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. c) Details of filing of return(s) and payment of taxed for past 3 years	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Date of filing</th> <th style="width: 40%;">Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Date of filing	Amount of tax paid (INR)				
Date of filing	Amount of tax paid (INR)							
12.	Permanent Address							
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.							
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)							
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.							

16. In case a Chartered Accountant, indicate the following:
- Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
 - Date of registration with the ICAI:
 - Name and Address of the registered firm/s:
 - Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:

17. Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:

Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number

18. Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)

19. Any other information relevant to directorship of the bank:

II. Relevant Relationships of proposed director

20. List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:

21. List of entities in which:

- interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:
- beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:
- Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):

22. List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949.

Name of the Company/firm

Country of incorporation

Number of shares

Face Value of each share

Total face value of share holding

Shareholding as % of total Paid up Capital

Beneficial interest (in value as well as % terms)

Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013

23. Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.

24. Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).

25. If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.

26. If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.



27. Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.

28. Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.

III. Records of professional achievements

29. Professional achievements relevant for the directorship.

IV. Proceedings, if any, against the proposed director

30. a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof.

b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.

31. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.

32. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.

33. If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.

34. If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.

35. If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.

36. If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.

37. a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof

b) If convicted by any Court of law, details thereof?

38. If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.

39. If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.

40. If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.

41. If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).

V. General Information

42. If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.

43. If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.

VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be **any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.**

Undertaking

I, Son/Daughter/wife of Shri/Smt
 confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination and Remuneration Committee / Board of Directors

Signature of the Chair of the NRC/ Board of Directors

Date:

Place: